बिहार लोक सेवा आयोग
15, नेहरू पथ (बेली रोड), पटना – 800001

विज्ञापन सं.–14/2026, दिनांक–18.08.2026

चतुर्थ चरण के विद्यालय अध्यापक भर्ती परीक्षा (TRE-4.0) के तहत शिक्षा विभाग, बिहार के अन्तर्गत विद्यालय अध्यापक के कुल– 32388 (बत्तीस हजार तीन सौ अठासी) रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु सुयोग्य भारतीय नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश आयोग के वेबसाईट **www.bpsc.bihar.gov.in** पर प्रदर्शित है।

1. इन रिक्त पदों की कोटिवार विवरणी निम्नवत है:–

(क) प्राथमिक विद्यालय के मूल कोटि वर्ग 1–5 तक के विद्यालय अध्यापक के लिए कुल–9847 पद

क्र. सं.	विषय	कोटि							कुल पद	विभागों हेतु आरक्षित पद				स्काउट्स सेवानी के पत्नी/पोती/नाती/नतिनी	डिस्लेक्सिया अभ्यर्थियों के लिए क्षैतिज आरक्षण के तहत अनुमान्य पद
		अनारक्षित	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	पिछड़ा वर्ग	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	पिछड़े वर्ग की महिलाएँ		दृष्टि बाधित (VH)	मूक बधिर (DD)	अस्थि विकलांग (OH)	मानसिक मंदता/बहुविकलांग (MD)		
	इनमें महिलाओं के लिए (50%) क्षैतिज आरक्षण के तहत आरक्षित पदों की कोटिवार संख्या														
1	सामान्य	1224	289	287 (95 पद पेसा लागू) =309	323	380 (233 पद पेसा लागू) = 819	98 (06 पद पेसा लागू) =43	110 (04 पद पेसा लागू) = 114	3085	27	27	26	27	50	32
		810	117	116	159	280	18		1380						
2	उर्दू	103	22	28 (01 पद पेसा लागू) =30	45 (26 पद पेसा लागू) =71	308 (231 पद पेसा लागू) =327	10 (12 पद पेसा लागू) =22	20 (08 पद पेसा लागू) = 62	757	02	03	05	04	00	01
		50	06	13	22	81	02		180						
3.	बांग्ला	00	00	01 (02 पद पेसा लागू) = 03	09 (15 पद पेसा लागू) = 07	08 (06 पद पेसा लागू) = 09	30	03 पद पेसा लागू	25	01	00	00	00	00	00
		04	00	00	00	00	00		41						
	कुल	1335	251	305	401	1225	65	165	3841	30	30	30	31	01	04
									4481						

श्रेणी एवं सेवा के अधीन वर्ग:– विद्यालय अध्यापक, अराजपत्रित
वेतनमान:– प्रारम्भिक वेतन प्रक्रम 25,000/– एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अन्य भत्ते।

(ख) मध्य विद्यालय (वर्ग 6–8 तक) के विद्यालय अध्यापकों के लिए कुल–8863 पद

क्र. सं.	विषय	कोटि							कुल पद	विभागों हेतु आरक्षित पद				स्काउट्स सेवानी के पत्नी/पोती/नाती/नतिनी	डिस्लेक्सिया अभ्यर्थियों के लिए क्षैतिज आरक्षण के तहत अनुमान्य पद
		अनारक्षित	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	पिछड़ा वर्ग	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	पिछड़े वर्ग की महिलाएँ		दृष्टि बाधित (VH)	मूक बधिर (DD)	अस्थि विकलांग (OH)	मानसिक मंदता/बहुविकलांग (MD)		
	इनमें महिलाओं के लिए (50%) क्षैतिज आरक्षण के तहत आरक्षित पदों की कोटिवार संख्या														
1.	गणित एवं विज्ञान	752	140	262 (121 पद पेसा लागू) = 383	190 (110 पद पेसा लागू) = 300	337 (241 पद पेसा लागू) = 473	26 (12 पद पेसा लागू) = 34	85 (36 पद पेसा लागू) = 121	2159	27	16	17	19	37	05
		257	03	122	70	161	10		723						
2	भाषा/सामाजिक विज्ञान	530	76	145 (28 पद पेसा लागू) = 173	85 (22 पद पेसा लागू) = 110	102 (37 पद पेसा लागू) = 139	16 (06 पद पेसा लागू) = 22	64 (16 पद पेसा लागू) = 80	1190	12	12	13	02	22	33
		257	31	87	39	72	04		470						
3.	हिन्दी	274	74	120 (131 पद पेसा लागू) = 257	74 (69 पद पेसा लागू) = 143	125 (152 पद पेसा लागू) = 277	05 (16 पद पेसा लागू) = 22	21 (31 पद पेसा लागू) = 52	1096	10	09	09	04	16	09
		129	27	85	31	56	00		298						

4	अंग्रेजी	512	122	225 (157 पद वेकलीन) = 302	340 (96 पद वेकलीन) = 226	230 (264 पद वेकलीन) = 564	08 (25 पद वेकलीन) = 33	32 (35 पद वेकलीन) = 67	1629	14	14	12	11	23	01
		248	53	105	61	106	01		674						
5.	संस्कृत	200	48	91 (200 पद वेकलीन) = 351	54 (90 पद वेकलीन) = 144	78 (304 पद वेकलीन) = 363	04 (19 पद वेकलीन) = 23	09 (67 पद वेकलीन) = 76	1225	06	04	03	05	10	00
		93	14	30	16	31	00		192						
6	उर्दू	243	47	86 (67 पद वेकलीन) = 143	48 (48 पद वेकलीन) = 57	139 (214 पद वेकलीन) = 353	10 (11 पद वेकलीन) = 21	20 (11 पद वेकलीन) = 31	935	05	06	07	05	09	00
		115	16	35	35	57	00		242						
कुल		2512	504	1689	982	2274	175	427	8563	68	63	55	53	117	09
									2669						

श्रेणी एवं सेवा के अधीन वर्ग:– विद्यालय अध्यापक, स्नातक कोटि (अराजपत्रित)
वेतनमान:– प्रारम्भिक वेतन प्रक्रम 26,000/– एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अन्य भत्ते।

(ग) माध्यमिक विद्यालय (वर्ग 9-10 तक) के विद्यालय अध्यापकों के लिए कुल–3677 पद

क्र. सं.	विषय	कोटि								दिव्यांगों हेतु आरक्षित पद				स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/नाती/नतीनी	ड्रामकेस्टर आदर्शियों के लिए क्षैतिज आरक्षण के तहत अनुमान पद
		अनारक्षित	आर्थिक रूप से समकक्ष वर्ग	पिछड़ा वर्ग	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	पिछड़े वर्गों की महिलाएँ	कुल पद	दृष्टि बाधित (VI)	एक बाहर (OD)	अस्थि दिव्यांग (OH)	मनोविकार/बहुदिव्यांग (MD)		
		35% क्षैतिज आरक्षण के तहत महिलाओं हेतु कोटिवार पद													
1	हिन्दी	135	22	23 (02 पद वेकलीन) = 33	31 (02 पद वेकलीन) = 33	04 (15 पद वेकलीन) = 99	11 (02 पद वेकलीन) = 13	21 (02 पद वेकलीन) = 23	361	03	02	03	04	04	01
		49	08	10	11	27	02		105						
2	अंग्रेजी	222	30	31 (06 पद वेकलीन) = 37	44 (07 पद वेकलीन) = 51	213 (115 पद वेकलीन) = 328	05 (00 पद वेकलीन) = 16	04 (07 पद वेकलीन) = 11	696	07	04	07	04	14	01
		76	07	05	12	73	00		178						
3.	विज्ञान	208	33	24 (06 पद वेकलीन) = 30	35 (09 पद वेकलीन) = 64	78 (03 पद वेकलीन) = 85	06 (02 पद वेकलीन) = 09	32 (04 पद वेकलीन) = 36	483	02	04	06	05	33	01
		72	08	06	16	22	00		124						
4.	गणित	235	39	61 (16 पद वेकलीन) = 77	68 (09 पद वेकलीन) = 77	73 (08 पद वेकलीन) = 81	08 (01 पद वेकलीन) = 10	43 (08 पद वेकलीन) = 51	570	03	05	06	07	08	02
		83	10	19	20	22	00		154						
5.	सामाजिक विज्ञान	206	58	63 (10 पद वेकलीन) = 60	100 (20 पद वेकलीन) = 120	152 (03 पद वेकलीन) = 155	05 (01 पद वेकलीन) = 06	44 (02 पद वेकलीन) = 46	756	05	04	08	10	12	02
		106	16	16	34	52	00		223						
6.	संस्कृत	61	10	34 (11 पद वेकलीन) = 25	26 (01 पद वेकलीन) = 67	28 (81 पद वेकलीन) = 109	02 (07 पद वेकलीन) = 09	05 (16 पद वेकलीन) = 21	322	02	00	02	04	04	03
		29	01	02	07	07	00		40						
7.	उर्दू	124	24	49 (34 पद वेकलीन) = 83	29 (27 पद वेकलीन) = 56	133 (205 पद वेकलीन) = 338	07 (13 पद वेकलीन) = 20	07 (08 पद वेकलीन) = 15	660	03	01	02	07	08	00
		36	04	13	06	44	00		103						
8.	शारीरिक विज्ञान	21	02	04 (02 पद वेकलीन) = 06	07	07 (01 पद वेकलीन) = 08	02	01	47	02	01	01	00	01	00
		04	03	00	01	00	00		05						

9.	संगीत	00	00	00	02	00	00	00	02	01	00	00	00	00	00
		00	00	00	00	00	00		00						
कुल		1316	218	364	497	1203	85	204	3877 932	28	22	35	38	68	07

श्रेणी एवं सेवा के अधीन वर्गः— विद्यालय अध्यापक, अराजपत्रित

वेतनमानः— मूल वेतन 31,000/— प्रतिमाह एवं अन्य देय भत्ते।

(घ) उच्च माध्यमिक विद्यालय (वर्ग 11—12 तक) के विद्यालय अध्यापकों के लिए कुल—16101 पद

क्र. स.	विषय	कोटि								विद्यांगों हेतु आरक्षित पद				स्वतंत्रता संग्रामी के पोता/पोती/पतोती/पतोती	ट्रांसलेन्डर अभ्यर्थियों के लिए क्षैतिज आरक्षण के तहत अनुमान्य पद
		अनारक्षित	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	पिछड़ा वर्ग	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	पिछड़े वर्गों की महिलाएँ	कुल पद	दृष्टि बाधित (VI)	मूक बधिर (DO)	अस्थि विभाग (OH)	मनोविकार/पक्षाघात (MD)		
		35% क्षैतिज आरक्षण के तहत महिलाओं हेतु कोटिवार पद													
1.	जन्तु विज्ञान	124	32	52 (16 पद बैकलॉग) = 68	33 (10 पद बैकलॉग) = 43	98 (48 पद बैकलॉग) = 144	11 (03 पद बैकलॉग) = 14	24	449	02	03	06	04	07	00
		39	06	12	07	33	00		97						
2.	वनस्पति विज्ञान	185	46	69 (206 पद बैकलॉग) = 295	29 (50 पद बैकलॉग) = 79	102 (273 पद बैकलॉग) = 375	08 (21 पद बैकलॉग) = 29	16 (53 पद बैकलॉग) = 69	1078	04	04	08	04	11	00
		00	07	22	08	30	00		125						
3.	रसायन शास्त्र	800	163	571 (508 पद बैकलॉग) = 956	217 (329 पद बैकलॉग) = 646	361 (605 पद बैकलॉग) = 968	23 (49 पद बैकलॉग) = 62	63 (119 पद बैकलॉग) = 182	3695	19	20	22	20	41	01
		279	59	125	71	124	00		658						
4.	गणित	161	27	34 (11 पद बैकलॉग) = 42	45 (13 पद बैकलॉग) = 31	186 (165 पद बैकलॉग) = 351	11 (12 पद बैकलॉग) = 23	21 (11 पद बैकलॉग) = 32	667	04	07	05	03	05	00
		49	04	07	01	59	00		120						
5.	गतिकी शास्त्र	287	62	152 (323 पद बैकलॉग) = 473	49 (122 पद बैकलॉग) = 171	183 (417 पद बैकलॉग) = 600	11 (28 पद बैकलॉग) = 37	36 (90 पद बैकलॉग) = 126	1768	07	11	09	08	16	00
		96	13	46	11	58	00		223						
6.	अर्थशास्त्र	53	10	21 (02 पद बैकलॉग) = 23	14 (02 पद बैकलॉग) = 16	10 (01 पद बैकलॉग) = 18	01	10 (01 पद बैकलॉग) = 11	138	00	02	04	00	02	00
		12	00	05	02	01	00		20						
7.	भूगोल	72	15	17 (06 पद बैकलॉग) = 23	10 (05 पद बैकलॉग) = 16	24 (15 पद बैकलॉग) = 34	02 (01 पद बैकलॉग) = 03	12 (03 पद बैकलॉग) = 15	178	01	02	01	01	02	00
		10	00	00	01	04	00		23						
8.	इतिहास	274	52	67 (20 पद बैकलॉग) = 87	27 (12 पद बैकलॉग) = 39	79 (16 पद बैकलॉग) = 95	00 (01 पद बैकलॉग) = 09	50 (02 पद बैकलॉग) = 52	000	03	04	05	07	11	04
		55	14	21	07	26	00		156						
9.	गृह विज्ञान	103	15	41 (42 पद बैकलॉग) = 83	18 (23 पद बैकलॉग) = 41	67 (82 पद बैकलॉग) = 149	02 (06 पद बैकलॉग) = 08	11 (07 पद बैकलॉग) = 18	418	02	02	06	01	05	00
		32	01	08	03	14	00		58						
10.	संगीत	176	27	70 (114 पद बैकलॉग) = 184	32 (40 पद बैकलॉग) = 72	73 (145 पद बैकलॉग) = 219	11 (10 पद बैकलॉग) = 21	18 (21 पद बैकलॉग) = 39	736	03	06	04	03	09	00
		53	02	19	05	18	00		103						
11.	दर्शन शास्त्र	13	04	09 (20 पद बैकलॉग) = 29	02 (04 पद बैकलॉग) = 06	14 (16 पद बैकलॉग) = 30	00	01 पद बैकलॉग	80	02	01	00	00	01	00
		01	00	00	00	00	00		01						

12.	राजनीति शास्त्र	228	42	34 (30 पद पेसा/ईं) – 64	15 (24 पद पेसा/ईं) – 39	139 (80 पद पेसा/ईं) = 219	11 (11 पद पेसा/ईं) = 22	29 (23 पद पेसा/ईं) = 51	885	04	08	05	05	10	01
		70	09	05	04	48	01		138						
13.	भूगोलिकाल	160	33	22 (199 पद पेसा/ईं) = 271	34 (81 पद पेसा/ईं) = 105	06 (237 पद पेसा/ईं) – 342	07 (18 पद पेसा/ईं) = 25	19 (55 पद पेसा/ईं) = 74	1030	05	03	05	03	06	00
		47	06	17	00	23	00		303						
14.	समाज शास्त्र	91	18	23 (11 पद पेसा/ईं) = 34	17 (03 पद पेसा/ईं) = 20	51 (24 पद पेसा/ईं) = 75	05 (11 पद पेसा/ईं) = 16	11 (02 पद पेसा/ईं) – 13	266	00	05	04	01	04	00
		29	01	06	03	12	00		51						
15	संस्कृत	30	01	07 (12 पद पेसा/ईं) = 08	05 (01 पद पेसा/ईं) – 06	07 (03 पद पेसा/ईं) = 10	02	05	66	01	00	01	00	01	00
		05	00	00	00	00	00		06						
16.	अध्यापक प्रशिक्षण	26	04	06 (05 पद पेसा/ईं) = 11	06 (05 पद पेसा/ईं) – 11	33 (36 पद पेसा/ईं) = 69	03	05 (05 पद पेसा/ईं) = 10	139	00	04	01	00	03	00
		03	00	00	00	04	00		07						
17	उच्चतर गणित	22	03	02 (01 पद पेसा/ईं) = 03	04 (01 पद पेसा/ईं) = 05	15 (05 पद पेसा/ईं) = 20	02	02 (01 पद पेसा/ईं) = 03	58	02	00	02	00	01	00
		04	00	00	03	02	00		09						
18	कम्प्यूटर विज्ञान	219	17	36 (03 पद पेसा/ईं) = 42	48 (03 पद पेसा/ईं) = 51	28 (06 पद पेसा/ईं) = 33	05 (02 पद पेसा/ईं) = 07	39 (06 पद पेसा/ईं) = 44	407	02	05	03	03	10	01
		74	04	11	05	07	00		111						
19.	अंग्रेजी	313	28	26 (02 पद पेसा/ईं) = 168	30 (23 पद पेसा/ईं) = 61	257 (401 पद पेसा/ईं) = 658	13 (22 पद पेसा/ईं) = 35	25 (23 पद पेसा/ईं) = 40	1321	06	08	09	06	17	02
		108	05	20	12	96	03		235						
20.	हिन्दी	218	48	18 (02 पद पेसा/ईं) = 58	30 (04 पद पेसा/ईं) = 74	136 (118 पद पेसा/ईं) = 254	10 (09 पद पेसा/ईं) = 19	31 (11 पद पेसा/ईं) = 42	739	03	08	04	01	09	01
		31	11	08	06	43	00		139						
21.	संस्कृत	136	22	53 (30 पद पेसा/ईं) = 209	27 (01 पद पेसा/ईं) = 88	57 (197 पद पेसा/ईं) = 254	30 (11 पद पेसा/ईं) = 21	09 (03 पद पेसा/ईं) = 52	746	03	09	08	02	07	00
		06	02	11	04	12	00		55						
22.	उर्दू	183	43	45 (20 पद पेसा/ईं) = 65	56 (113 पद पेसा/ईं) = 179	124 (228 पद पेसा/ईं) = 357	03 (14 पद पेसा/ईं) = 22	11 (17 पद पेसा/ईं) = 28	877	02	08	07	04	05	00
		50	06	13	15	26	09		328						
कुल		3852	749	3222	1704	5271	371	938	16401	78	111	118	77	190	07
									2974						

श्रेणी एवं सेवा की अर्हीन वर्ग:– विद्यालय अध्यापक, अराजपत्रित
वेतनमान:– मूल वेतन। 52,000/– प्रतिमाह एवं अन्य देय भत्ते

नोट:–(i) अधियाची विभाग द्वारा प्राप्त अधियाचना में संशोधन होने पर प्रकाशित रिक्तियों की संख्या घट–बढ़ सकती है।

(ii) विभागीय पत्रांक–905, दिनांक–15.06.2026 के आलोक में वर्ग 9 से 10 के विद्यालय अध्यापक के लिए बांग्ला, ललितकला, नृत्य, मैथिली, विशेष विद्यालय अध्यापक, अरबी एवं फारसी तथा वर्ग 11 से 12 के विद्यालय अध्यापक के लिए बांग्ला, भोजपुरी, मगही, मैथिली, पाली, प्राकृत, अरबी, फारसी एवं कृषि विषय का पृथक अधियाचना सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से प्राप्त होने के पश्चात् रिक्तियों की सूचना दी जायेगी।

(iii) अभ्यर्थियों की संख्या के अनुरूप परीक्षा का संचालन/आयोजन एक से अधिक चरणों में किया जा सकता है।

(iv) शिक्षा विभाग के अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालय (कक्षा 1 से 5), मध्य विद्यालय (कक्षा 6 से 8), माध्यमिक विद्यालय (कक्षा 9 से 10), विशेष विद्यालय अध्यापक (कक्षा 9 से 10) एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय (कक्षा 11 से 12) के विद्यालय अध्यापक पद के लिए जिलावार, विषयवार एवं कोटिवार रिक्ति (ट्रांसफोन्टर सहित) आयोग के वेबसाईट www.bpsc.bihar.gov.in पर प्रदर्शित है।

2. विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु अनिवार्य अर्हता निम्नवत् होगी—

(i) भारत का नागरिक हो।

(ii) विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा समय-समय पर निर्धारित शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता धारित करता हो। विशेष विद्यालय अध्यापक के लिए अर्हता भारतीय पुनर्वास परिषद् के अनुरूप अनुमान्य होगा।

(iii) राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर आहूत शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण हो यथा—

(a) प्राथमिक विद्यालय अध्यापक (वर्ग 1 से 5) के लिए CTET Paper-I अथवा BTET Paper-I

(b) मध्य विद्यालय (वर्ग 6 से 8) के अध्यापकों के लिए CTET Paper-II अथवा BTET Paper-II

(c) माध्यमिक विद्यालय (वर्ग 9 से 10) एवं विशेष विद्यालय अध्यापक (वर्ग 9 से 10) के अध्यापकों के लिए STET Paper-I

(d) उच्च माध्यमिक विद्यालय अध्यापक (वर्ग 11 से 12) के लिए STET Paper-II में उत्तीर्ण हो।

परन्तु वर्ष 2012 से पूर्व नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक, जो दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण होंगे, के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्णता अनिवार्य नहीं होगी।

नोट:—

वैसे अभ्यर्थी जो शैक्षणिक योग्यता धारित करते हों एवं शिक्षक प्रशिक्षण पूरा कर लिये हों तथा माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा (STET, 2026) में सम्मिलित होने वाले हैं, वे भी विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन दे सकेंगे, बशर्ते उन्हें प्रारम्भिक परीक्षा से पूर्व माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा (STET, 2026) उत्तीर्ण होना आवश्यक है। माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा (STET, 2026) उत्तीर्ण नहीं होने की स्थिति में प्रारम्भिक परीक्षा हेतु एडमिट कार्ड जारी नहीं किया जायेगा।

उन्हें ऐसी परीक्षा में भाग लेने का प्रमाण तथा एडमिट कार्ड एवं परीक्षाफल सहित माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा (STET, 2026) संबंधी सभी आवश्यक प्रमाण पत्र की मूल प्रति आयोग के द्वारा सत्यापन हेतु मांगे जाने पर शरासय उपलब्ध कराना होगा और सत्यापनोपरान्त उनकी अर्हता मान्य होगी। आवेदन के समय उन्हें इस आशय का स्व-घोषणा (Self-declaration) भी देना होगा। स्व-घोषणा (Self-declaration) का प्रारूप आयोग के वेबसाईट www.bpsc.bihar.gov.in पर उपलब्ध है।

❖ शिक्षा विभाग के ज्ञापांक-681, दिनांक-17.06.2023 के आलोक में स्पष्ट किया जाता है कि CTET अभ्यर्थियों के लिए BTET, 2017 के लागू प्रावधानानुसार सामान्य कोटि के अभ्यर्थी को न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य कोटि की महिला उम्मीदवारों को 55 प्रतिशत अंक एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा निःशक्त कोटि के उम्मीदवारों को न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक के आधार पर उत्तीर्ण माना जायेगा। STET Paper-I एवं STET Paper-II अर्हताधारी अभ्यर्थियों को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा संचालित माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में निर्धारित उत्तीर्णांक मान्य होगा। राज्य के बाहर के सभी महिला एवं पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम अंक सामान्य कोटि के अभ्यर्थियों के रूप में निर्धारित की जायेगी।

विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा समय-समय पर निर्धारित शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता धारित करता हो, जो सम्प्रति निम्नवत् है:—

(A) विद्यालय अध्यापक के मूल कोटि (कक्षा 1–5) के पद पर नियुक्ति हेतु शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता:—

न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक (अथवा इसके समकक्ष) तथा प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा (चाहे उसे कोई भी नाम दिया गया हो)

अथवा

न्यूनतम 45% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक (अथवा इसके समकक्ष) एवं प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा (चाहे उसे कोई भी नाम दिया गया हो), जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता, मानदंड और क्रियान्वयन) विनियम 2002, के अनुसार प्राप्त किया गया हो।

अथवा

न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक (अथवा इसके समकक्ष) तथा 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक (बी०एल०एड०)

अथवा

न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक (अथवा इसके समकक्ष) तथा शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) में द्विवर्षीय डिप्लोमा

अथवा

स्नातक तथा प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा (चाहे जिस किसी नाम से जाना जाता हो);

परन्तुक–

(i) वर्ग 1–5 के उर्दू पदों पर बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड/मौलाना मजहरूल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय, पटना द्वारा प्रदत्त मौलवी/आलिम अथवा किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से उर्दू में इन्टरमीडिएट (50 अंकों के साथ) अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से उर्दू में स्नातक की शैक्षणिक योग्यता मान्य होगी।

(ii) वर्ग 1–5 के उर्दू पदों पर बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड/मौलाना मजहरूल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय, पटना द्वारा प्रदत्त मौलवी/आलिम अथवा किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से उर्दू में इन्टरमीडिएट (50 अंकों के साथ) अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से उर्दू में स्नातक को शैक्षणिक योग्यता मान्य होगी।

(iii) वर्ग 1–5 के लिए बांग्ला शिक्षकों के पदों पर इन्टर में 50 अंकों का बांग्ला अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बांग्ला में स्नातक की योग्यता मान्य होगी।

(vi) किसी सोसाइटी अथवा ट्रस्ट के द्वारा स्थापित सर्वाधिक संस्थानों द्वारा प्रदत्त भाषा विशेष की उपाधि/डिप्री को विद्यालय अध्यापक पद पर नियुक्ति हेतु मान्य नहीं होगा।

नोट:–माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में NIOS द्वारा प्रदत्त 18 महीने का D.EL.Ed की उपाधि मान्य होगा। वैसे शिक्षक, जो दिनांक–10.08.2017 के पूर्व से कार्यरत हैं, उनकी 18 माह की D.EL.Ed डिग्री मान्य होगी।

(B) विद्यालय अध्यापक के स्नातक कोटि (वर्ग 6 -8) :– मध्य विद्यालय में स्नातक कोटि (6–8) के विद्यालय अध्यापक की विषयवार निम्न पद होंगे:–

(क) गणित एवं विज्ञान विद्यालय अध्यापक।

(ख) सामाजिक विज्ञान विद्यालय अध्यापक।

(ग) भाषा विद्यालय अध्यापक।

(i) <u>नियुक्ति हेतु न्यूनतम शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक अर्हता निम्नवत होगी</u> :

स्नातक (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से प्राप्त डिग्री) और प्रारम्भिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा (चाहे जिस किसी नाम से जाना जाता हो)।

अथवा

कम–से–कम 50% अंकों सहित स्नातक या स्नातकोत्तर तथा बी.एड.

अथवा

न्यूनतम 45% अंकों के साथ स्नातक एवं शिक्षा शास्त्र में एक वर्षीय स्नातक (बी.एड.) जो इस संबंध में समय–समय पर जारी किये गये राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् मान्यता मानदंड साथ क्रियान्वित विनियमों के अनुसार प्राप्त किया गया हो।

अथवा

न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक (अथवा इसके समकक्ष) एवं चार वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक (बी०एल०एड०)

अथवा

न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक (अथवा इसके समकक्ष) एवं चार वर्षीय बी.ए./बी.एससी.एड. या बी.ए.एड./बी.एससी.एड.

अथवा

न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक तथा एक वर्षीय बी.एड. (विशेष शिक्षा)

अथवा

न्यूनतम 55% अंकों के साथ अथवा उसके समकक्ष ग्रेड के साथ स्नातकोत्तर और तीन वर्षीय एकीकृत बी०एड०–एम०एड०।

अथवा

न्यूनतम 50% अंकों के साथ बी.सी.ए. तथा प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा (चाहे जिस किसी नाम से जाना जाता हो)/बी०एड०/बी०एड०(विशेष शिक्षा)/न्यूनतम 55% अंकों के साथ अथवा उसके समकक्ष ग्रेड के साथ एन.सी.ए. और तीन वर्षीय एकीकृत बी०एड०–एम०एड०।

अथवा

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता मानदंड तथा प्रक्रियाविधि विनियम, 2014 के तहत इंजीनियरिंग की स्नातक (जिसमे विज्ञान और गणित की विशेषज्ञता हो) तथा बी.एड.।

अथवा

B.Sc (Bio-Technology) अथवा B.Sc (Electronics) तथा बी.एड.

(ii) वर्ग 6–8 के भाषा विषय के विद्यालय अध्यापक के लिए स्नातक स्तर पर प्रतिष्ठा (Hons.)/आनुषांगिक (Subsidiary) विषय के रूप में संबंधित भाषा विषय गठित हो यथा–संस्कृत भाषा के शिक्षक (संस्कृत में स्नातक/शास्त्री की उपाधि, उर्दू शिक्षक के लिए आलिम की उपाधि अथवा उर्दू में स्नातक)।

(iii) वर्ग 6–8 के सामाजिक विज्ञान विषय के विद्यालय अध्यापक के लिए स्नातक स्तर पर इतिहास, भूगोल, राजनीतिशास्त्र, दर्शनशास्त्र, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, मनोविज्ञान, समाज शास्त्र, गृह विज्ञान में से कोई दो विषय स्नातक स्तर पर गठित हो।

(iv) वर्ग 6–8 के गणित एवं विज्ञान विषय के लिए स्नातक स्तर पर गणित, सांख्यिकी, भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान (वनस्पति विज्ञान अथवा जन्तु विज्ञान) में से कोई दो विषय गठित हो।

परन्तुक–शिक्षा शास्त्र में डिप्लोमा (विशेष शिक्षा) एवं बी.एड. (विशेष शिक्षा) के लिए केवल भारतीय पुनर्वास परिषद् (आरसीआई) द्वारा मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम मान्य होगा। ऐसी योग्यता प्राप्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति के बाद प्राथमिक शिक्षा शास्त्र में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम मान्य होगा। ऐसी योग्यता प्राप्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति के बाद प्राथमिक शिक्षा शास्त्र में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त 6 माह का विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करना आवश्यक होगा। संबंधित विद्यालय अध्यापक को इस प्रशिक्षण को पूर्ण करने हेतु 06 महीने का सांविधिक अवकाश मान्य होगा।

नोटः–माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में NIOS द्वारा प्रदत्त 12 महीने का D.El.Ed की उपाधि मान्य होगा। वैसे शिक्षक, जो दिनांक–10.08.2017 के पूर्व से कार्यरत हैं, उनकी 10 माह की D.El.Ed डिग्री मान्य होगी।

(C) सामान्य विषयों के लिए कक्षा 9 से 10 तक के विद्यालय अध्यापक के लिए आवश्यक शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यताः–

विनिर्दिष्ट विषय/विषय समूह में कम से कम 50 प्रतिशत अंक सहित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा स्नातकोत्तर में (अथवा इसके समतुल्य) उत्तीर्ण एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् से मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा में स्नातक (बी०एड०)।

अथवा

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा स्नातकोत्तर (अथवा इसके समतुल्य) में कम से कम 45 प्रतिशत अंकों सहित स्नातक/स्नातकोत्तर तथा 15.11.2002 को अधिसूचित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता के लिए आवेदन पत्र, आवेदन पत्र जमा करने की समय–सीमा, अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों की मान्यता के लिए मानदंडों और मानकों का निर्धारण तथा नए पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण शुरू करने के लिए अनुमति) विनियम 2002 तथा 10.12.2007 को अधिसूचित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता मानदंड और प्रक्रियाविधि) विनियम–2007 के अनुसार राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् से मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा में स्नातकी (बी०एड०)।

अथवा

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् से मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान से विनिर्दिष्ट विषय/विषय समूह में बी०ए०एड०/बी०एससी०एड० की चार वर्षीय उपाधि।

(D) शारीरिक शिक्षा विषय के लिए कक्षा 9–10 तक के विद्यालय अध्यापक के लिए आवश्यक शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यताः–

एक वैकल्पिक विषय के रूप में शारीरिक शिक्षा के साथ 50 प्रतिशत अंकों सहित शारीरिक शिक्षा में स्नातक उपाधि।

अथवा

एक वैकल्पिक विषय के रूप में शारीरिक शिक्षा के साथ 45 प्रतिशत अंकों सहित शारीरिक शिक्षा में स्नातक उपाधि तथा एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी अथवा इंडियन ओलम्पिक एसोसिएशन द्वारा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय अथवा राज्य अथवा अन्तर–विश्वविद्यालयी खेलकूद अथवा खेल प्रतियोगिताओं अथवा ऐथलेटिक्स में सहभागिता।

अथवा

45 प्रतिशत अंकों सहित स्नातक उपाधि तथा राष्ट्रीय अथवा राज्य अथवा अन्तर–विश्वविद्यालयी खेलकूद अथवा खेल प्रतियोगिताओं अथवा ऐथलिटिक्स में सहभागिता।

अथवा

प्रतिनियुक्त सेवारत अभ्यर्थी (अर्थात प्रशिक्षित शारीरिक अध्यापक/कोच)–45 प्रतिशत अंकों सहित स्नातक तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता मानदंड और क्रियाविधि) विनियम, 2009 के अनुसार कम से कम 03 वर्ष का अध्यापन अनुभव।

अथवा

45 प्रतिशत अंकों सहित शारीरिक शिक्षा में स्नातक।

अथवा

एक वैकल्पिक विषय के रूप में शारीरिक शिक्षा के साथ न्यूनतम 40 प्रतिशत अंकों सहित स्नातक।

अथवा

ऐसा स्नातक, जिसने खेलकूद/खेलों में स्कूल, अन्तर कॉलेजिएट में भाग लिया हो अथवा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता मानदंड और क्रियाविधि) विनियम, 2007 (10.12.2007 को अधिसूचित) के अनुसार एन.सी.सी. ('सी' प्रमाण पत्र) पास किया हो।

अथवा

शारीरिक शिक्षा में 3 वर्ष की अवधि का स्नातक अर्थात बी.पी.एड. पाठ्यक्रम (अथवा इसके समतुल्य)

अथवा

ऐसा स्नातक, जिसने खेलकूद/खेलों/ऐथलेटिक्स में राज्य/विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व किया हो।

अथवा

ऐसा स्नातक, जिसने अन्तर कॉलेजिएट खेलकूद/खेल प्रतियोगिताओं में पहला, दूसरा अथवा तीसरा स्थान प्राप्त किया हो/एन.सी.सी. ('सी' प्रमाण पत्र) का धारक हो अथवा जिसने जोखिमपूर्ण खेलकूद में बुनियादी पाठ्यक्रम पास किया हो।

अथवा

13.11.2002 को अधिसूचित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता के लिए आवेदन पत्र, आवेदन पत्र जमा करने की समय सीमा, अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों की मान्यता के लिए मानदंडों और मानकों का निर्धारण तथा नए पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण शुरू करने के लिए अनुमति) विनियम, 2002 के अनुसार खेलकूद विज्ञान, खेलकूद प्रबंध, खेलकूद कोचिंग, योगा, ओलंपिक शिक्षा, खेलकूद पत्रकारिता आदि में एक वर्ष के प्रशिक्षण कार्यक्रम सहित स्नातक।

तथा

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से शारीरिक शिक्षा में कम से कम एक वर्ष की अवधि का स्नातक (बी.पी.एड.) अथवा इसके समतुल्य।

(E) संगीत विषय के लिए कक्षा 9–10 तक के विद्यालय अध्यापक के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता:– न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा मान्यता प्राप्त बोर्ड/संस्थान से संगीत शिक्षा में स्नातक–उपाधि अथवा उसके समकक्ष अर्हता। मान्यता प्राप्त संस्था के संबंध में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर प्रशासी विभाग का निर्णय अंतिम होगा।

(F) ललितकला विषय के लिए कक्षा 9–10 तक के विद्यालय अध्यापक के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता:– न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा मान्यता प्राप्त बोर्ड/संस्थान से ललितकला विषय में स्नातक–उपाधि अथवा उसके समकक्ष अर्हता। मान्यता प्राप्त संस्था के संबंध में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर प्रशासी विभाग का निर्णय अंतिम होगा।

(G) नृत्य विषय के लिए कक्षा 9–10 तक के विद्यालय अध्यापक के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता:– न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त संस्थान/विश्वविद्यालय से नृत्य शिक्षा में स्नातक उपाधि या उसके समकक्ष अर्हता। मान्यता प्राप्त संस्था के संबंध में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर प्रशासी विभाग का निर्णय अंतिम होगा।

(H) कक्षा 9 से 10 तक विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु विषय समूह निम्नवत् होगा:–

(i) <u>गणित</u> :– शिक्षा विभाग के अधिसूचना संख्या–956, दिनांक–29.05.2023 के आलोक में "स्नातक स्तर पर गणित के साथ भौतिकी/इलेक्ट्रोनिक्स/कम्प्यूटर साइंस/रसायन विज्ञान/सांख्यिकी

विषय में से कोई दो विषय स्नातक स्तर पर पठित हो अथवा इंजीनियरिंग से स्नातक जिसमें गणित की विशेषज्ञता हो"।

❖ शिक्षा विभाग के अधिसूचना संख्या–1010, दिनांक–08.06.2023 के आलोक में यह स्पष्ट किया जाता है कि स्नातक स्तर पर कम्प्यूटर साईंस में बी.सी.ए. की योग्यता को सम्मिलित माना जायेगा।

(ii) <u>विज्ञान</u> :– स्नातक स्तर पर जन्तु विज्ञान (प्राणि विज्ञान), वनस्पति विज्ञान एवं रसायनशास्त्र विषय में पठित हो अथवा इंजीनियरिंग से स्नातक जिसमें विज्ञान की विशेषज्ञता हो।

❖ शिक्षा विभाग के अधिसूचना संख्या–1154, दिनांक–21.06.2023 के आलोक में जन्तु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान एवं रसायनशास्त्र के अलावे Biotechnology/Microbiology को भी समाहित किया जाता है।

(iii) <u>सामाजिक विज्ञान</u> :– स्नातक स्तर पर सहायक विषय/प्रतिष्ठा विषय के अन्तर्गत इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र एवं राजनीतिशास्त्र में से किसी दो विषय में उत्तीर्ण हो, जिसमें अनिवार्य रूप से एक विषय इतिहास या भूगोल अनिवार्य हो।

❖ सामाजिक विज्ञान विषय के विद्यालय अध्यापक के पदों पर नियुक्ति हेतु अभ्यर्थी इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र एवं राजनीतिशास्त्र में किसी दो विषय जिसमें से एक विषय इतिहास या भूगोल विषय अनिवार्य है, का चयन सामाजिक विज्ञान विषय के परीक्षा में कर सकते हैं।

❖ शिक्षा विभाग के अधिसूचना संख्या–1154, दिनांक–21.06.2023 के आलोक में सामाजिक विज्ञान के अन्तर्गत इतिहास विषय के समकक्ष प्राची। इतिहास माना जायेगा।

(iv) <u>भाषा से संबंधित विषय</u> :– माध्यमिक विद्यालय अध्यापक के पद हेतु भाषा से संबंधित विषयों में संबंधित भाषा में स्नातक स्तर पर प्रतिष्ठा (Hons.)/आनुषांगिक (Subsidiary) विषय के रूप में पठित हो।

(I) कक्षा 9–10 तक के विशेष विद्यालय अध्यापक के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता:–

(क) न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक–उपाधि

एवं

(ख) भारतीय पुनर्वास परिषद् से मान्यता प्राप्त संस्थान से विशेष शिक्षा में बी.एड. के साथ भारतीय पुनर्वास परिषद् के पास सी.आर.आर. प्राप्त हो

या

बी.एड. के साथ भारतीय पुनर्वास परिषद् से मान्यता प्राप्त संस्थान से सर्टिफिकेट/डिप्लोमा जो विशेष शिक्षा में बी.एड. के समकक्ष हो एवं भारतीय पुनर्वास परिषद् के पास सी.आर.आर.पी. धारित हो

एवं

(ग) अन्तर दिव्यांगता क्षेत्र में 06 माह का अध्यापन प्रशिक्षण।

परन्तुक:–भारतीय पुनर्वास परिषद् के द्वारा अन्तर दिव्यांगता क्षेत्र में 06 माह का अध्यापन प्रशिक्षण प्रारंभ नहीं होने की स्थिति में नियुक्ति के लिए उक्त अर्हता को इस शर्त के साथ शिथिल रखा जायेगा कि संबंधित अभ्यर्थी/उम्मीदवार नियुक्ति के उपरांत उक्त प्रशिक्षणवर्या के निर्धारण की स्थिति में इसे प्रशिक्षणवर्या पारंभ होने की तिथि से 02 वर्ष के अन्दर पूर्ण करना सुनिश्चित करेंगे। इस प्रशिक्षणवर्या को पूर्ण करने हेतु यथा आवश्यक (अधिकतम 06 माह तक) सवैतनिक अवकाश मान्य होगा।

(J) कक्षा 11 से 12 तक के विद्यालय अध्यापक के लिए सामान्य विषयों के लिए आवश्यक शैक्षणिक एवं प्रशिक्षणिक योग्यता:–

विनिर्दिष्ट विषय में कम से कम 50 प्रतिशत अंकों सहित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर उपाधि एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् से मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा में स्नातक (बी०एड०)।

अथवा

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम से कम 45 प्रतिशत अंकों सहित स्नातकोत्तर (अथवा इसके समतुल्य) तथा 13.11.2002 को अधिसूचित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता के लिए आवेदन पत्र, आवेदन पत्र जमा करने की समय–सीमा, अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रमों की मान्यता के लिए मानदंडों और मानकों का निर्धारण तथा नए पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण शुरू करने के लिए अनुमति) विनियम 2002 तथा 10.12.2007 को अधिसूचित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता, मानदंड और प्रक्रियाएँ) विनियम–2007 के अनुसार राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् से मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा में स्नातक (बी०एड०)।

अथवा

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम से कम 50 प्रतिशत अंकों सहित संबंधित विषय में स्नातकोत्तर (अथवा इसके समतुल्य) तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् से मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान से बी०एड०/बी०एस्सी०एड०।

अथवा

न्यूनतम 55 प्रतिशत अंकों अथवा उसके समकक्ष ग्रेड के साथ संबंधित विषय में स्नातकोत्तर तथा 03 वर्षीय एकीकृत बी०ए०एड०– एम०एड०।

(K) कक्षा 11 से 12 तक के विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु विषय समूह निम्नवत् होगा:–

Posts (Subject)	Subjects at Post Graduate Level
Physics	Physics/Electronics/Applied Physics/Nuclear Physics
Chemistry	Chemistry/Biochemistry
Economics	Economics/Applied Economics/Business Economics
Commerce	Master's Degree in commerce. However, holder of Degree of M.Com in applied/Business Economics shall not be eligible.
Botany/Zoology	शिक्षा विभाग के अधिसूचना संख्या–1010, दिनांक–08.06.2023 के आलोक में Botany/Zoology/Life Science/Bio Science/Genetics/Micro Biology/ Biotechnology/Molecular Biology/Plant Physiology.
Math	Mathematics/Applied Mathematics

(L) कक्षा 11 से 12 तक में कम्प्यूटर विषय के लिए विद्यालय अध्यापक हेतु आवश्यक शैक्षणिक योग्यता:–

न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ निम्न विषय समूह में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से प्राप्त उपाधि –

डी०ओ०ई०ए०सी०सी० से स्तर 'ए' एवं किसी विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि।

अथवा

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या ए०आई०सी०टी०ई० से मान्यता प्राप्त संस्थान से बी.ई. (कम्प्यूटर साइंस/आई०टी०) या बी.टेक. (कम्प्यूटर साइंस/आई०टी०) अथवा समकक्ष उपाधि या भारत सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान/विश्वविद्यालय से डिग्री।

अथवा

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या ए०आई०सी०टी०ई० से मान्यता प्राप्त संस्थान से किसी स्ट्रीम में बी०ई० या बी०टेक० की उपाधि तथा कम्प्यूटर में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा।

अथवा

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर साईंस में स्नातकोत्तर/एम०सी०ए० या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समकक्ष उपाधि।

अथवा

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर साईंस में स्नातक/बी०सी०ए० या समकक्ष एवं किसी विषय में स्नातकोत्तर।

अथवा

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर साईंस में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा एवं किसी विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि।

अथवा

डी०ओ०ई०ए०सी०सी० से स्तर 'बी' एवं मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि।

अथवा

सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी मंत्रालय में डी०ओ०ई०ए०सी०सी० से स्तर 'सी' तथा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि।

अथवा

एम०सी०ए० या तीन वर्षीय कोर्स (3 सेमेस्टर)।

नोट:–कम्प्यूटर विज्ञान विषय के अभ्यर्थियों के लिए बी०एड० की योग्यता अनिवार्य नहीं है।

(M) संगीत विषय के लिए कक्षा 11–12 तक के विद्यालय अध्यापक के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता:–

न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा मान्यता प्राप्त बोर्ड/संस्थान से संगीत शिक्षा में स्नातकोत्तर–उपाधि अथवा उसके समकक्ष अर्हता। मान्यता प्राप्त

संस्था के संबंध में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर प्रशासी विभाग का निर्णय अंतिम होगा.

(N) कक्षा 11 से 12 तक वाणिज्य संकाय/विषय में विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु पात्रता परीक्षा के संबंध में: -

वाणिज्य संकाय में तीन विषय क्रमशः EPS (उद्यमिता), Accountancy (लेखाशास्त्र) एवं Business Study (बिजनेश स्टडी) में नियुक्ति की जायेगी। इस हेतु वाणिज्य (Commerce) में शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी उक्त तीन विषयों में से किसी एक विषय में नियुक्ति हेतु आवेदन कर सकते हैं। परन्तु EPS (उद्यमिता) अथवा Accountancy (लेखा) अथवा Business Study (बिजनेश स्टडी) विषय में शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी संबंधित विषय में ही नियुक्ति हेतु आवेदन कर सकेंगे।

(O) कक्षा 11–12 तक में कृषि शिक्षकों के लिए विद्यालय अध्यापक के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता:–

न्यूनतम 50 प्रतिशत अंको के साथ निम्न विषय समूह में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से कृषि/उद्यान में स्नातक तथा Agronomy/Plant Breeding & Genetics/Entomology/Plant Pathology/Seed Science & Technology/Soil Science/Horticulture में से किसी विषय में स्नातकोत्तर अर्हता योग्यता धारित करना आवश्यक होगा। मान्यता प्राप्त संस्था के संदर्भ में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर प्रशासी विभाग का निर्णय अंतिम होगा।

❖ **राज्य स्तर के विद्यालय अध्यापक के पदों पर नियुक्ति हेतु शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांग अभ्यर्थियों को न्यूनतम निर्धारित अर्हतांक में 05 प्रतिशत की छूट देय होगी।**

(P) विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र की मान्यता से संबंधित उपबंध:–

(i) बोर्ड अथवा किसी राज्य सरकार द्वारा स्थापित बोर्ड से निर्गत मैट्रिक अथवा समकक्ष एवं इण्टरमीडिएट अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र मान्य होगा।

नोट:–शिक्षा विभाग के अधिसूचना ज्ञापांक–2128, दिनांक–05.08.2025 के आलोक में विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु कुल रिक्त पदों का 40% पद बिहार राज्य के अन्दर अवस्थित शैक्षणिक संस्थानों से मैट्रिक अथवा इंटरमीडिएट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों द्वारा भरा जायेगा। (उक्त वर्णित स्थिति में अविभाजित बिहार से मैट्रिक अथवा इंटरमीडिएट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को 40% पद के लिए बिहार राज्य से उत्तीर्ण माना जायेगा)।

परन्तु 40% रिक्तियों के विरूद्ध अनुशंसा योग्य अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर ऐसी शेष रिक्तियाँ 60% रिक्तियों के लिए अर्हता प्राप्त कोटि के योग्य अभ्यर्थी द्वारा भरी जा सकेगी।

(ii) केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधिनियम से गठित विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत स्नातक एवं स्नातकोत्तर का प्रमाण पत्र मान्य होगा।

(iii) NCTE अधिनियम, 1993 के प्रवृत होने के पूर्व केन्द्र या किसी राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों से अथवा NCTE अधिनियम के प्रवृत होने के उपरांत NCTE से मान्यता प्राप्त संस्थान अथवा ऐसे राज्य/केन्द्रशासित प्रदेश जहां राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (NCTE) अधिनियम प्रभावी नहीं है, उस राज्य/केन्द्रशासित प्रदेश द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान द्वारा निर्गत प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र मान्य होगा।

(Q) <u>स्नातकोत्तर के समतुल्य अर्हता से संबंधित स्पष्टीकरण</u> –मौलाना मजहरूल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय, पटना या बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रदत्त फाजिल की उपाधि उर्दू/फारसी/अरबी विषय के लिए स्नातकोत्तर के समतुल्य एवं ज्ञानेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय दरभंगा द्वारा प्रदत्त आचार्य की उपाधि संस्कृत विषय के लिए स्नातकोत्तर के समतुल्य मानी जाएगी।

(R) <u>स्नातक के समतुल्य</u> अर्हता से <u>संबंधित स्पष्टीकरण</u> –मौलाना मजहरूल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय या बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रदत्त आलिम की उपाधि उर्दू/फारसी/अरबी विषय के लिए स्नातक के समतुल्य मानी जाएगी। ज्ञानेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय, दरभंगा द्वारा प्रदत्त शास्त्री की उपाधि संस्कृत विषय के लिए स्नातक के समतुल्य मानी जाएगी।

- विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु संबंधित अभ्यर्थी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (NCTE) द्वारा समय-समय पर निर्धारित शैक्षणिक एवं प्रशिक्षणिक योग्यता धारित करता हो। इसी प्रकार विशेष विद्यालय अध्यापक के लिए अर्हता भारतीय पुनर्वास परिषद् (RCI) के अनुरूप अनुमान्य होगा। उक्त पृष्ठभूमि में वर्णित कोई प्रावधान NCTE अथवा RCI के प्रावधान के अनुकूल नहीं होने की स्थिति में NCTE अथवा RCI के प्रावधान के अनुरूप स्वतः संशोधित समझा जायेगा।

❖ **शिक्षक प्रशिक्षण के किसी भी उपाधि के मान्यता के बिन्दु पर अथवा किसी उपाधि विशेष के समतुल्यता के बिन्दु पर किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (NCTE) के परामर्श से विभाग का निर्णय अंतिम होगा।**

2. <u>आयु सीमा</u>:-

(i) सभी पदों के लिए न्यूनतम उम्र सीमा की गणना 01.08.2026 तथा कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार के पत्रांक-212, दिनांक-29.01.2008 के आलोक में सभी पदों के लिए अधिकतम उम्र सीमा की गणना 01.08.2026 को आधार मानकर की जायेगी।

(ii) प्राथमिक विद्यालय एवं मध्य विद्यालय के विद्यालय अध्यापक के लिए कट-ऑफ-तिथि 01.08.2026 को अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापक के लिए अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु 01.08.2026 को 21 वर्ष है।

(iii) अधिकतम अनारक्षित (पुरुष)- 37 वर्ष, पिछड़ा वर्ग/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (पुरुष एवं महिला) 40 वर्ष, अनारक्षित महिला 40 वर्ष, ट्रांसजेन्डर-42 वर्ष एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (पुरुष एवं महिला)- 42 वर्ष।

(iv) वार्धक्य सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष निर्धारित है।

नोट:-(I) (क) माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा SLP (Civil) Diary No. (s) 28464/2025 (LPA संख्या-1030/2025) रंजन कुमार मंडल एवं अन्य बनाम बिहार राज्य सरकार एवं अन्य में दिनांक-01.08.2025 को पारित आदेश द्वारा संबंधित वादियों को एक बार के अवसर (**One Time Opportunity**) के रूप में, याचिकाकर्ता निर्धारित आयु-सीमा पार कर चुके होने के बावजूद, इस विज्ञापन हेतु चयन प्रक्रिया में भाग लेने के लिए पात्र होंगे।

उक्त के आलोक में दिनांक-01.08.2025 के आदेश से उत्पन्न लाभ/छूट को केवल उन्हीं वादियों तक सीमित रखा जाएगा, जो संबंधित वाद/न्यायादेश से प्रत्यक्षतः आच्छादित हैं।

(ख) माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **Contempt Petition (c) No....@ Diary No(s) 8853/2025 In T.P.(c) NOS. 1995-1997/2024** में दिनांक-06.06.2025 को पारित आदेश के अनुपालन में **NIOS** द्वारा **कम से 18 महीने का D.El.Ed** की उपाधि प्राप्त ऐसे अभ्यर्थी, जो विज्ञापन संख्या-22/2024 में अर्हता पूर्ण होने के बावजूद भी आयोग के प्रतियोगिता परीक्षा में बैठने का अवसर नहीं दिया गया था। इन अभ्यर्थियों की अधिकतम उम्र सीमा की गणना विज्ञापन संख्या-22/2024 में निर्धारित कट-ऑफ-डेट अर्थात 01.08.2023 के आधार पर की जायेगी।

परन्तुक-

(i) पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था अन्तर्गत नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षकों के लिए अधिकतम आयु सीमा शिथिल रहेगा।

(ii) सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक-22218, दिनांक-21.12.2022 के आलोक में बिहार सरकार के नियोजित रूप में नियुक्त सरकारी सेवकों को प्रतियोगिता परीक्षाओं में भाग लेने के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में 05 (पाँच) वर्ष की छूट अनुमान्य है, परन्तु उक्त आयु सीमा की छूट की अवधि में प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने की अनुमति तभी दी जा सकेगी जब उनके द्वारा तबतक अधिकतम 05 (पाँच) अवसरों का उपयोग नहीं किया गया हो। बिहार सरकार के सरकारी सेवक को आयु सीमा में छूट का दावा करने की स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा।

बिहार सरकार के सरकारी सेवकों को सेवा में आने के उपरान्त उनकी पूरी सेवा अवधि में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं (संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा एवं अन्य परीक्षाओं को मिलाकर) में अधिकतम कुल 05 (पाँच) अवसर ही अनुमान्य होंगे। उपर्युक्त निर्धारित पाँच अवसरों की गणना संकल्प निर्गत होने की तिथि 12.12.2022 के बाद से प्रारम्भ होगी। पूर्व में उपभोग कर लिये गये अवसरों की एतदर्थ उपेक्षा की जाएगी।

(iii) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के संकल्प ज्ञापांक-562, दिनांक-22.01.2021 के आलोक में अधिकतम आयु सीमा के अतिरिक्त दिव्यांगों को अधिकतम उम्र सीमा में 10 वर्षों की छूट अनुमान्य है। दावा करने की स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र जमा करना अनिवार्य होगा।

(iv) सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र के आलोक में भूतपूर्व सैनिकों को उक्त सीमा में 03 (तीन) वर्ष तथा प्रतिरक्षा सेवा में बितायी गयी सेवा अवधि के योग के समतुल्य रियायत दी जायेगी, बशर्ते कि उनकी वास्तविक उम्र आवेदन देने की तिथि को 57 वर्ष से अधिक नहीं हो।

पूर्वपूर्व सैनिकों को उम्र सीमा में छूट का दावा करने की स्थिति में उससंबंधी प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा।

4. चयन प्रक्रिया:– प्रारम्भिक परीक्षा एवं मुख्य परीक्षा के आधार पर चयन किया जायेगा। प्रारम्भिक परीक्षा में सफल उम्मीदवारों से मुख्य परीक्षा के लिए ऑनलाइन से आवेदन आमंत्रित किये जायेंगे। प्रारम्भिक एवं मुख्य परीक्षा में आवेदन में दी गयी सूचनाओं में भिन्नता होने की स्थिति में आवेदक को मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित किया जा सकता है।

I. प्रारम्भिक परीक्षा:–

(i) प्रारम्भिक प्रतियोगिता परीक्षा सामान्य अध्ययन विषय की होगी, जिसके सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकृति के बहुविकल्पीय होंगे। परीक्षा की अवधि दो घंटे की होगी। कुल अंक 150 होंगे। प्रत्येक प्रश्न एक अंक का होगा। प्रश्नवार बहुविकल्पीय उत्तरों में से प्रश्नवार किसी एक उत्तर का चयन अपेक्षित होगा।

(ii) प्रारम्भिक परीक्षा में गलत उत्तर के लिए नकारात्मक अंकन (Negative Marking) किया जायेगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए $^1/_3$ (एक तिहाई) Negative Marking का प्रावधान होगा।

(iii) प्रत्येक प्रश्न के लिए पाँच विकल्प (A,B,C,D,E) प्रदान किये जायेंगे। अभ्यर्थी को एक सही उत्तर (A), (B), (C) या (D) में से एक विकल्प का चयन कर उत्तर पत्रक में अंकित करना है। यदि अभ्यर्थी प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहता है, तो विकल्प (E) का चयन करना अनिवार्य होगा। किसी भी स्थिति में प्रत्येक प्रश्न के लिए केवल एक उत्तर चुनना है। यदि कोई अभ्यर्थी पाँचों विकल्प (A,B,C,D,E) में से किसी का भी चयन नहीं करता है, तो ऐसे प्रत्येक अनुत्तरित (Unanswered) प्रश्न पर नकारात्मक अंकन करते हुए $^1/_3$ (एक तिहाई) अंक की कटौती की जायेगी।

(iv) प्रारम्भिक परीक्षा महज़ वस्तु परीक्षा होगी।

(v) इस प्रारम्भिक परीक्षा में सामान्य विज्ञान, राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, भारत का इतिहास तथा बिहार के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं, सामान्य भूगोल, बिहार के प्रमुख भौगोलिक प्रभाग तथा यहाँ की महत्वपूर्ण नदियां, भारत की राज्य व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था, आजादी के पश्चात् बिहार की अर्थ व्यवस्था के प्रमुख परिवर्तन, भारत का राष्ट्रीय आन्दोलन तथा इसमें बिहार का योगदान एवम् सामान्य मानसिक योग्यता को जांचने वाले प्रश्न होंगे।

➢ कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार के संकल्प ज्ञापांक–2374, दिनांक–16.07.2007 एवं सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक–962, दिनांक–22.01.2021 के आलोक में प्रारम्भिक परीक्षा में सामान्य श्रेणी के लिए 40 (चालीस) प्रतिशत, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5 (साढ़े छत्तीस) प्रतिशत, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के लिए 34 (चौंतीस) प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिला एवं दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए 32 (बत्तीस) प्रतिशत न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक–10771, दिनांक–17.06.2025 के आलोक में महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण एवं दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए देय 04 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण सहित निर्धारित न्यूनतम अर्हतांक 32 प्रतिशत मात्र बिहार राज्य के मूल निवासी अभ्यर्थियों को ही देय होगा।

➢ अतिथि शिक्षकों के लिए दिये जाने वाले अधिमानता के संबंध में:–

CWJC NO.-2270/2024 संजीव कुमार झा एवं अन्य बनाम बिहार सरकार एवं अन्य में दिनांक–29.05.2024 को पारित आदेश के आलोक में शिक्षा विभाग के संकल्प ज्ञापांक–51, दिनांक–25.01.2018 के तहत सेवा में लिये गये वैसे अतिथि शिक्षकों, जो बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक (नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त) नियमावली, 2023 (यथा संशोधित) के अन्तर्गत उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु निर्धारित अर्हता धारित करते हैं, को आयोग के विज्ञापन संख्या–22/2024 में प्रत्येक वर्ष की सेवा अवधि के लिए 05 अंक अधिभार देते हुए अधिकतम 25 अंक अधिभार देने का निर्णय लिया गया था।

माननीय उच्च न्यायालय, पटना के उक्त आदेश के विरूद्ध विभाग द्वारा LPA भी दायर किया गया है। उक्त LPA No.- 593/2024 में पारित होने वाले आदेश के फलाफल से प्रभावित होने के शर्त पर TRE-4.0 में भी वैसे अतिथि शिक्षक जो निर्धारित योग्यता धारित करते हैं, को प्रत्येक वर्ष के सेवा अवधि के लिए 05 अंक अधिभार देते हुए अधिकतम 25 अंक अधिभार देने का निर्णय पुनः लिया गया है। इस हेतु अतिथि शिक्षकों को जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा निर्गत अनुभव प्रमाण पत्र एवं नियुक्ति पत्र समर्पित किया जाना अनिवार्य होगा।

नोट:–(i) प्रारम्भिक परीक्षा के प्राप्तांक एवं अधिमानता में प्राप्त अंक के आधार पर मुख्य परीक्षा के लिये चुने जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या कुल संसूचित रिक्तियों की ढाई गुनी से लेकर दस गुनी होगी। कोटिवार समान कट-ऑफ-अंक प्राप्त करने वाले सभी उम्मीदवारों का चयन मुख्य परीक्षा के लिए किया जायेगा।

(ii) सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक–12956, दिनांक–16.08.2024 के आलोक में कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार के संकल्प संख्या–2374 दिनांक–16.07.2007 एवं संकल्प

आयांक–962, दिनांक–22.01.2021 के अनुसार परीक्षा (प्रारम्भिक एवं मुख्य) के लिए निर्धारित न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करने के पश्चात् ही प्रारम्भिक एवं मुख्य परीक्षा–दोनों चरणों में अनुभव का अधिमानता अंक जोड़ा जायेगा।

II. मुख्य परीक्षा:–

➢ मुख्य परीक्षा (वस्तुनिष्ठ) के लिए परीक्षा संरचना एवं पाठ्यक्रम निम्नलिखित होंगे:–

पत्र	विषय	प्रश्नों की संख्या	परीक्षा की अवधि	कुल अंक	अभ्युक्ति
1.	भाषा (अर्हता) एवं सामान्य अध्ययन	150 भाग–I-30, भाग–II-120	02.30 घंटे	150	प्राथमिक विद्यालय (कक्षा 1 से 5) के लिए ➢ यह पत्र दो भाग में होंगे यथा– भाग–I एवं भाग–II ➢ भाग–I-भाषा (अर्हता) के लिए अंग्रेजी एवं हिन्दी/उर्दू/बांग्ला भाषा का व्यावहारिक ज्ञान। इस भाग में अर्हतांक कम से कम 30 प्रतिशत अनिवार्य होगा। ➢ भाग–II-सामान्य अध्ययन के लिए प्राथमिक गणित, मानसिक क्षमता परीक्षण, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण शामिल हैं। ➢ उपरोक्त विषय पत्रों के पाठ्यक्रम SCERT/NCERT से सम्बन्धित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। ➢ सामान्य अध्ययन पत्र के पाठ्यक्रम SCERT से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा।
2.	भाषा (अर्हता), सामान्य अध्ययन एवं विषय	150 भाग–I-30, भाग–II-40 एवं भाग–III 80	02.30 घंटे	150	मध्य विद्यालय (वर्ग 6–8) के लिए ➢ यह पत्र तीन भाग में होंगे यथा– भाग–I, भाग–II एवं भाग–III ➢ भाग–I-भाषा (अर्हता) के लिए अंग्रेजी एवं हिन्दी/उर्दू/बांग्ला भाषा का व्यवहारिक ज्ञान। इस भाग में अर्हतांक कम से कम 30 प्रतिशत अनिवार्य होगा. ➢ भाग–II-सामान्य अध्ययन के लिए प्राथमिक गणित, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं भूगोल शामिल हैं। ➢ भाग–III- विषय पत्र के लिए उम्मीदवारों द्वारा इन पत्रों में से किसी एक पत्र का चुनाव किया जाना है:– गणित एवं विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, हिन्दी, उर्दू, संस्कृत तथा अंग्रेजी। नोट:–वर्ग 6–8 के सामाजिक विज्ञान के चयन करने वाले अभ्यर्थी यदि Section-I में इतिहास विषय का चयन करते हैं, तो Section-II में भूगोल/अर्थशास्त्र/राजनीति शास्त्र विषय में से किसी एक विषय का चयन करेंगे और यदि अभ्यर्थी द्वारा Section-I में भूगोल विषय का चयन करते हैं, तो Section-II में अर्थशास्त्र/राजनीति शास्त्र विषय में से किसी एक विषय का चयन करेंगे। ➢ उपरोक्त सभी विषय पत्रों के पाठ्यक्रम SCERT/NCERT से सम्बन्धित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। ➢ सामान्य अध्ययन पत्र के पाठ्यक्रम SCERT से सम्बन्धित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा।
3.	भाषा (अर्हता), सामान्य अध्ययन एवं विषय	150 भाग–I-30, भाग–II-40 एवं भाग–III-80	02.30 घंटे	150	माध्यमिक विद्यालय (वर्ग 9 से 10) एवं विशेष विद्यालय अध्यापक (वर्ग 9 से 10) के लिए ➢ यह पत्र तीन भाग में होंगे यथा– भाग–I, भाग–II एवं भाग–III ➢ भाग I-भाषा (अर्हता) के लिए अंग्रेजी एवं हिन्दी/उर्दू/बांग्ला भाषा का व्यावहारिक ज्ञान। इस भाग

					में अर्हतांक कम से कम 30 प्रतिशत अनिवार्य होगा। ➢ भाग–II- एक सामान्य अध्ययन पत्र है, जिसके प्रश्न माध्यमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। इसमें प्राथमिक गणित, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं भूगोल शामिल हैं। ➢ भाग–III- विद्यालय अध्यापक (वर्ग 9 से 10) एवं विशेष विद्यालय अध्यापक (वर्ग 9 से 10) के लिए एक विषय पत्र है। उम्मीदवारों द्वारा इन पत्रों में से किसी एक पत्र का चुनाव किया जाना है:– हिन्दी, उर्दू, शारकृत, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, शारीरिक विज्ञान, संगीत, सामाजिक विज्ञान, बांग्ला, शास्त्रिकला, नृत्य, मैथिली, अरबी एवं फारसी। नोट–वर्ग 9 10 के सामाजिक विज्ञान के चयन करने वाले अभ्यर्थी यदि Section-I में इतिहास विषय का चयन करते हैं, तो Section-II में भूगोल/अर्थशास्त्र/राजनीति शास्त्र विषय में से किसी एक विषय का चयन करेंगे और यदि अभ्यर्थी द्वारा Section-I में भूगोल विषय का चयन करते हैं, तो Section-II में अर्थशास्त्र/राजनीति शास्त्र विषय में से किसी एक विषय का चयन करेंगे। ➢ उपरोक्त विषय पत्रों के पाठ्यक्रम SCERT/NCERT से सम्बन्धित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। ➢ सामान्य अध्ययन पत्र के पाठ्यक्रम SCERT से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा।
4.	भाषा (अर्हता), सामान्य अध्ययन एवं विषय	150 भाग–I-30, भाग–II-40 एवं भाग–III-80	02:30 घंटे	150	उच्च माध्यमिक विद्यालय (वर्ग 11 -12) के लिए ➢ यह पत्र तीन भाग में होंगे यथा– भाग I, भाग–II एवं भाग–III ➢ भाग–I-भाषा (अर्हता) के लिए अंग्रेजी एवं हिन्दी/उर्दू/बांग्ला भाषा का व्यवहारिक ज्ञान। इस भाग में अर्हतांक कम से कम 30 प्रतिशत अनिवार्य होगा। ➢ भाग–II- एक सामान्य अध्ययन पत्र है, जिसके प्रश्न उच्च माध्यमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। इसमें प्राथमिक गणित, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं भूगोल शामिल है। ➢ भाग–III- उच्च माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए एक विषय पत्र है। उम्मीदवारों द्वारा इन पत्रों में से किसी एक पत्र का चुनाव किया जाना है– हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान, जन्तु विज्ञान, इतिहास, राजनीति शास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाज शास्त्र, मनोविज्ञान, गृह विज्ञान, संगीत, दर्शन शास्त्र, कम्प्यूटर साईंस, व्यवसायिक अध्ययन, उद्यमशीलता, लेखा, बांग्ला, भोजपुरी, मगही, मैथिली, पाली, प्राकृत, अरबी, फारसी एवं कृषि। ➢ उपरोक्त विषय पत्रों के पाठ्यक्रम SCERT/NCERT से सम्बन्धित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। ➢ सामान्य अध्ययन पत्र के पाठ्यक्रम SCERT से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा।

- सभी पदों के लिए ली जानेवाली मुख्य परीक्षा वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय (MCQ Objective) होगी। परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। और कुल अंक 150 होंगे। प्रत्येक प्रश्न एक अंक का होगा।
- मुख्य परीक्षा (वस्तुनिष्ठ) में गलत उत्तर के लिए नकारात्मक अंकन (Negative Marking) किया जायेगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए $^{1}/_{4}$ (एक तिहाई) Negative Marking का प्रावधान होगा।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए पाँच विकल्प (A,B,C,D,E) प्रदान किये जायेंगे। अभ्यर्थी को एक सही उत्तर (A), (B), (C) या (D) में से एक विकल्प का चयन कर उत्तर पत्रक में अंकित करना है। यदि अभ्यर्थी प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहता है, तो विकल्प (E) का चयन करना अनिवार्य होगा। किसी भी स्थिति में प्रत्येक प्रश्न के लिए केवल एक उत्तर चुनना है। यदि कोई अभ्यर्थी पाँचों विकल्प (A,B,C,D,E) में से किसी का भी चयन नहीं करता है, तो ऐसे प्रत्येक अनुत्तरित (Unanswered) प्रश्न पर नकारात्मक अंकन करते हुए $^{1}/_{4}$ (एक तिहाई) अंक की कटौती की जायेगी।

नोटः—बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली, 2023 की कंडिका–7(v) के आलोक में परीक्षा के लिए अर्हतांक नियत करने का विवेकाधिकार आयोग को होगा।

- कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार के संकल्प ज्ञापांक–2374, दिनांक–16.07.2037 एवं सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक–962, दिनांक–22.01.2021 के आलोक में मुख्य परीक्षा में सम्पान्य श्रेणी के लिए 40 (चालीस) प्रतिशत, पिछड़ा वर्ग के लिए 365 (साढ़े बत्तीस) प्रतिशत, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के लिए 34 (चौंतीस) प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिला एवं दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए 32 (बत्तीस) प्रतिशत न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक–13771, दिनांक–17.06.2026 के आलोक में महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण एवं दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए देय 34 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण सहित निर्धारित न्यूनतम अर्हतांक 32 प्रतिशत मात्र बिहार राज्य के मूल निवासी अभ्यर्थियों को ही देय होगा।
- उक्त विज्ञापन हेतु पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान नहीं है।

<u>मेधा सूची –</u>

➢ <u>वर्ग 1 से 5 तक के विद्यालय अध्यापक के लिए मेधा सूची का निर्धारणः–</u>

मुख्य परीक्षा के प्राप्तांक (भाग–II) के आधार पर आयोग सफल अभ्यर्थियों की औपबंधिक मेधा सूची तैयार करेगा। भाग–II (सामान्य अध्ययन) के प्राप्तांक समान होने की स्थिति में भाषा (अर्हता) (भाग I) विषय के प्राप्तांक के अनुसार मेधा–क्रम निर्धारित होगा। भाषा (अर्हता) (भाग–I) विषय में भी प्राप्तांक समान होने की स्थिति में उम्र तथा उम्र में समानता होने पर देवनागरी लिपि में वर्णमाला के अनुसार नाम वाले उम्मीदवार को वरीयता दी जायेगी।

➢ <u>वर्ग 6 से 8, 9 से 10, विशेष विद्यालय अध्यापक (वर्ग 9 से 10) एवं 11 से 12 के विद्यालय अध्यापक</u> के लिए मेधा सूची का निर्धारणः–

मुख्य परीक्षा के कुल प्राप्तांक (भाग–II एवं III) के आधार पर आयोग सफल अभ्यर्थियों की औपबंधिक मेधा सूची तैयार करेगा। कुल प्राप्तांक (भाग–II एवं III) समान होने की स्थिति में ऐच्छिक विषय (भाग–III) का प्राप्तांक तथा ऐच्छिक विषय में समान अंक होने की स्थिति में भाषा (अर्हता) (भाग–I) विषय के प्राप्तांक के अनुसार मेधा–क्रम निर्धारित होगा। भाषा (अर्हता) (भाग–I) विषय में भी प्राप्तांक समान होने की स्थिति में उम्र तथा उम्र में समानता होने पर देवनागरी लिपि में वर्णमाला के अनुसार नाम वाले उम्मीदवार को वरीयता दी जायेगी।

नोटः CWJC NO.-2270/2024 संदीप कुमार झा एवं अन्य बनाम बिहार सरकार एवं अन्य में दिनांक–29.05.2024 को पारित आदेश के आलोक में शिक्षा विभाग के संकल्प ज्ञापांक–51, दिनांक–29.01.2018 के तहत सेवा में लिये गये वैसे अतिथि शिक्षकगण, जो बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक (नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त) नियमावली, 2023 (यथा संशोधित) के अन्तर्गत उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु निर्धारित अर्हता धारित करते हैं, को आयोग के विज्ञापन संख्या–22/2024 में प्रत्येक वर्ष की सेवा अवधि के लिए 05 अंक अधिभार देते हुए अधिकतम 25 अंक अधिभार देने का निर्णय लिया गया था।

माननीय उच्च न्यायालय, पटना के उक्त आदेश के विरूद्ध विभाग द्वारा LPA भी दायर किया गया है। उक्त LPA No.- 593/2024 में पारित होने वाले आदेश के फलाफल से प्रभावित होने के शर्त पर TRE-4.0 में भी वैसे अतिथि शिक्षक जो निर्धारित योग्यता धारित करते हैं, को प्रत्येक वर्ष के सेवा अवधि के लिए 05 अंक अधिभार देते हुए अधिकतम 25 अंक अधिभार देने का निर्णय पुनः लिया गया है। इस हेतु अतिथि शिक्षकों को जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा निर्गत अनुभव प्रमाण पत्र एवं नियुक्ति पत्र समर्पित किया जाना अनिवार्य होगा।

➢ अभ्यर्थी किसी एक ही विषय का चयन कर सकते हैं, जिस विषय में उन्होंने शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण किया है। यदि अभ्यर्थी एक या एक से अधिक विषय में शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण हुए हों, उस स्थिति में भी अभ्यर्थी अपनी इच्छा से एक ही विषय का चयन कर सकते हैं।

नोटः—औपबंधिक परीक्षाफल प्रकाशन के पश्चात् पूरक परीक्षाफल प्रकाशित नहीं किया जायेगा।

➢ साक्षात्कार:–

इसमें साक्षात्कार नहीं लिया जायेगा।

➢ अधिमानता / प्राथमिकता:–

- प्रकाशित विज्ञापन के आलोक में एक से अधिक वर्ग हेतु आवेदन देने की स्थिति में अपने निर्धारित आवश्यक अर्हता एवं उम्र के अनुरूप एक ही ऑनलाइन आवेदन समर्पित करेंगे।
- विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति की अनुशंसा आयोग द्वारा विषयवार एवं जिलावार किया जायेगा। इस हेतु प्रत्येक अभ्यर्थी से जिला चयन हेतु अधिकतम 38 जिलों का विकल्प ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से प्राप्त किया जायेगा तथापि अभ्यर्थी का सही जिला हेतु परीक्षाफल प्रकाशित किया जायेगा, जहाँ के लिए उनके द्वारा विकल्प दिया जाता है। विकल्प के अनुरूप उनकी विषयवार एवं कोटेवार मेरीयता नहीं रहने पर उस पद पर दावा अनुमान्य नहीं किया जायेगा। उदाहरणस्वरूप– यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा 10 (दस) जिलों का विकल्प दिया जाता है, तो 10 (दस) जिला में मेरीयता के अनुरूप संबंधित विषय/कोटि में रिक्ति उपलब्ध होने पर उनका परीक्षाफल प्रकाशित किया जायेगा। अन्य जिला का विकल्प नहीं भरे जाने की स्थिति में शेष सभी जिला हेतु उनका दावा अनुमान्य नहीं किया जायेगा।

5. अन्य निर्देश:–

(i) कोई अभ्यर्थी शिक्षा विभाग के बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक (नियुक्ति, स्थानान्तरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त) संशोधन नियमावली, 2024 के आलोक में अधिकतम 05 (पाँच) बार परीक्षा में भाग ले सकेगा।

(ii) आयोग द्वारा की गयी अनुशंसा, नियुक्ति का अधिकार तब तक नहीं प्रदान करेगी जब तक कि सभी आवश्यक प्रमाण पत्रों की जाँच के उपरान्त प्रशासी विभाग संतुष्ट न हो जाय, की अभ्यर्थी विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति के लिये सभी दृष्टियों से उपयुक्त है।

(iii) आयोग द्वारा विज्ञापित ऑनलाइन आवेदन पत्र में विद्यालय अध्यापक अभ्यर्थी द्वारा योग्यता से संबंधित स्व–घोषणा के आधार पर इनकी उम्मीदवारी का मूल्यांकन किया जायेगा।

नोट:–आयोग के विज्ञापन के आलोक में प्राप्त आवेदनों में अभ्यर्थियों द्वारा शैक्षणिक, प्रशैक्षणिक योग्यता, शिक्षक पात्रता / दक्षता परीक्षा, अनुभव एवं अन्य योग्यता संबंधी दावों को सत्य मानते हुए परीक्षा आयोजित करने की कार्रवाई की जायेगी। आयोग के द्वारा तैयार औपबंधिक मेधासूची शिक्षा विभाग को भेजने के पश्चात् अभ्यर्थियों द्वारा योग्यता संबंधी आवेदन में किये गये दावे की सत्यता की जाँच विभाग अपने स्तर पर करने के पश्चात् नियुक्ति की कार्रवाई करेगा। आवेदक के दावे और उनके द्वारा प्रस्तुत कागजातों के सत्यापन के पश्चात् मेधासूची को प्रशासी / शिक्षा विभाग संशोधित कर सकेगा।

6. आरक्षण:–

(i) सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा लागू आरक्षण का प्रावधान प्रभावी होगा।

(ii) ऑनलाइन आवेदन पत्र में इसका कॉलम न आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा एवं आरक्षण का लाभ राज्य सरकार के प्रचलित आरक्षण नियमों के अनुसार और राज्य सरकार के सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र के आधार पर ही देय होगा।

(iii) आरक्षण का लाभ बिहार के मूल निवासी को ही देय होगा।

(iv)(A) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को निम्नांकित प्रमाण–पत्र जमा करना अनिवार्य होगा:–

(a) जाति प्रमाण- पत्र

(b) स्थायी निवास / मूल निवास प्रमाण -पत्र

(B) पिछड़ा वर्ग एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को क्रीमीलेयर रहित प्रमाण–पत्र जमा करना अनिवार्य होगा।

पिछड़ा वर्ग एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग की दशा में अपने स्थायी निवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अंचल स्तर पर अधिसूचित राजस्व अधिकारी / अंचल पदाधिकारी द्वारा निर्गत क्रीमीलेयर रहित प्रमाण–पत्र मान्य होगा।

अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति की दशा में अपने स्थायी निवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत स्थायी निवास प्रमाण–पत्र / मूल निवास प्रमाण–पत्र एवं जाति प्रमाण–पत्र मान्य होगा।

आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं का जाति / स्थायी निवास / क्रीमीलेयर रहित प्रमाण–पत्र उनके पिता के नाम एवं पिता के स्थायी पता से निर्गत होना चाहिए न कि उनके पति के नाम एवं पता से।

(v) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार की अधिसूचना संख्या– 2022, दिनांक– 28.02.2019 एवं पत्रांक–12123, दिनांक - 23.08.2023 के आलोक में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आरक्षण का लाभ बिहार अधिनियम, 15 / 2006 के आलोक में राज्य के मूल निवासियों (पुरुष / महिला) को भी देय होगा। उक्त पत्रों के आलोक में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए इस विज्ञापन में वर्णित रिक्ति के अनुसार 10% आरक्षण का लाभ लेने हेतु आर्थिक रूप से

कमजोर वर्ग के सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जानेवाला आय एवं परिसम्पत्ति प्रमाण पत्र उपर्युक्त अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची-I (प्रपत्र-I) में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत होना चाहिए अन्यथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को दैय आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। इस प्रावधान राज्य में लागू अन्य किसी नियम के द्वारा विभिन्न आरक्षित कोटि के लिए निर्दिष्ट आरक्षण के अतिरिक्त होगी परंतु राज्य से बाहर के अभ्यर्थी इस नियम के अधीन आरक्षण का लाभ हेतु दावा नहीं करेंगे। विवाहित महिला के पक्ष में आय एवं परिसम्पत्ति प्रमाण पत्र अभ्यर्थी के पति के साथ रहने की स्थिति में उनके पति के स्थायी निवास (अंचल) का निर्गत होगा, परन्तु इस विवाहित महिला को अपने पिता के स्थायी निवास के आधार पर निर्गत आवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, जिससे स्पष्ट हो जाय कि विवेधित विवाहित महिला बिहार राज्य की मूल निवासी है। आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र (EWS) निर्गत होने की तिथि से अगले एक वर्ष के लिए मान्य होगा।

(vi) आरक्षित कोटि के अभ्यर्थी अपनी जाति के अनुरूप पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के पश्चात् ही आरक्षित कोटि का चयन ऑनलाइन आवेदन के संबंधित कॉलम में करेंगे एवं ऑनलाइन आवेदन भरते समय उनके पास आरक्षण कोटि के अनुरूप सक्षम प्राधिकार से निर्गत प्रमाण–पत्र उपलब्ध होना अनिवार्य होगा। अन्यथा आरक्षण का दावा मान्य नहीं होगा।

आरक्षित कोटि निम्नवत् है :–

क्रमांक	आरक्षित कोटि	ऑनलाइन आवेदन में आरक्षित कोटि	कोटि कोड
1.	अनारक्षित (Unreserved)	UR	01
2.	अनुसूचित जाति (Scheduled Caste)	SC	02
3.	अनुसूचित जनजाति (Scheduled Tribe)	ST	03
4.	अत्यंत पिछड़ा वर्ग (Extremely Backward Class)	EBC	04
5.	पिछड़ा वर्ग (Backward Class)	BC	05
6.	पिछड़े वर्ग की महिला (Backward Class ladies)	BCL	06
7	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (Economically Weaker Section)	EWS	07

(vii)(क) सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक–8962, दिनांक–21.06.2025 के आलोक में बिहार राज्य के मूल निवासी बेंचमार्क दिव्यांगता वाले को ही क्षैतिज आरक्षण अनुमान्य होगा। सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार की अधिसूचना संख्या–962, दिनांक– 22.01.2021 के आलोक में दिव्यांगों (Persons With Benchmark Disability)को इस विज्ञापन में वर्णित रिक्ति के अनुसार 4% क्षैतिज आरक्षण देय होगा। ऐसे आरक्षण का दावा करने की स्थिति में राज्य के किसी भी सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल / Civil Surgeon/CMO से निर्गत अथवा प्रमाणित/संपुष्ट दिव्यांगता प्रमाण पत्र मान्य होगा। ऐसे सभी अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता औपबंधिक मानी जायेगी तथा नियुक्ति के पूर्व दिव्यांगता संबंधित जाँच प्रशासी विभाग द्वारा की जायेगी। दिव्यांगता प्रमाण पत्र असंपुष्ट अथवा गलत पाये जाने पर अभ्यर्थिता रद्द करते हुए आवश्यक कार्यवाई की जायेगी।

बहुदिव्यांगता का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के पास दिव्यांगता अधिकार नियमावली, 2017 (The Rights of Persons with Disabilities Rules, 2017) में वर्णित निर्धारित प्रारूप फार्म VI (Form VI) में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत बहुदिव्यांगता प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करना आवश्यक है, अन्यथा बहुदिव्यांगता के आधार पर आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।

(ख) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार के संकल्प संख्या– 10686, दि-नांक–29.06.2022 के अनुसार दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा– 2(r) के अन्तर्गत परिभाषित बेंचमार्क दिव्यांगता (PwBD) (40% या उससे अधिक दिव्यांगता से ग्रस्त) एवं सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक–2568, दिनांक–11.02.2025 के आलोक में विशिष्ट दिव्यांग अभ्यर्थियों अर्थात 40% से कम दिव्यांगता वाले तथा लिखने में असमर्थ अभ्यर्थियों के लिए **श्रुतिलेखक एवं अन्य सुविधा का दावा करने की स्थिति में उपर्युक्त अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची–I में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र एवं अनुसूची–II में शपथ पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।** जिस दिव्यांग अभ्यर्थी को श्रुतिलेखक (Scribe) की आवश्यकता होगी, उन्हें ऑनलाइन आवेदन के श्रुतिलेखक की आवश्यकता कॉलम में Yes करना अनिवार्य होगा।

(viii)सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के संकल्प ज्ञापांक–12675, दिनांक–29.07.2025 के आलोक में संपूर्ण रूप से राज्य की मूल निवासी (आरक्षित वर्ग के साथ गैर आरक्षित वर्ग की भी) महिलाओं को ही इस विज्ञापन में वर्णित रिक्ति के अनुसार क्षैतिज आरक्षण देय होगा।

(ix) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के पत्रांक– 2526, दिनांक–18.02.2016 के आलोक में राज्य के वैसे स्वतंत्रता सेनानियों जिन्हें केन्द्र द्वारा पेंशन स्वीकृत है, के पोता/पोती/नाती/नतनी को इस विज्ञापन में वर्णित रिक्ति

को अनुसार 02% क्षैतिज आरक्षण देय होगा। ऐसे आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के पास आवेदन करते समय अपने गृह जिला के जिला पदाधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी के हस्ताक्षर से निर्गत सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के पत्रांक–11667, दिनांक 30.08.2016 के साथ संलग्न निर्धारित प्रपत्र में (भूतपूर्व स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/नाती/नतीनी होने का) प्रमाण–पत्र निश्चित रूप से उपलब्ध होना चाहिए (स्वतंत्रता सेनानी के उत्तराधिकारी होने का परिचय पत्र मान्य नहीं है)।

(x) सामान्य प्रशासन विभाग का पत्रांक 10679, दिनांक–15.09.2025 के आलोक में बिहार राज्य हेतु अधिसूचित पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची–2) के क्रमांक–47 पर दर्ज किन्नर/कोथी/हिजड़ा/ ट्रांसजेन्डर (थर्ड जेन्डर) को इस विज्ञापन में वर्णित शिक्षा के अनुसार क्षैतिज आरक्षण देय होगा। ऐसे आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को बिहार राज्य का मूल निवासी होने का प्रमाण पत्र एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सक्षम प्राधिकार द्वारा उनके ट्रांसजेन्डर होने के निमित्त निर्गत प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक–12722, दिनांक–12.09.2014 के आलोक में किन्नर/कोथी/हिजड़ा/ट्रांसजेन्डर (थर्ड जेन्डर) अभ्यर्थियों को पिछड़े वर्गों को मिलने वाले आरक्षण का लाभ देय होगा।

(xi) सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापांक - 16144, दिनांक– 29.11.2012 में निहित प्रावधान के आलोक में नियुक्ति/प्रोन्नति/नामांकन की प्रक्रिया के बीच किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता है।

सभी वांछित प्रमाण–पत्र यथा शैक्षणिक, प्रशिक्षणिक योग्यता, अनुभव एवं शिक्षक पात्रता/दक्षता परीक्षा संबंधी प्रमाण पत्र आवेदन करने की अंतिम तिथि–30.09.2026 तक का निर्गत होना आवश्यक है। आवेदन भरने की अंतिम तिथि के पश्चात् निर्गत प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। यदि परिस्थिति के अनुरूप आवेदन भरने की अंतिम तिथि का विस्तार किया जाता है, तो उससे अर्हता संबंधी कोई भी अंतिम तिथि विस्तारित अथवा प्रभावित नहीं होगी।

नोट:–(a) ऑनलाइन आवेदन के क्रम में अभ्यर्थियों से कतिपय सूचना सिर्फ डाटाबेस संधारित करने हेतु ली जाती है। अगर उक्त सूचनाएँ से संबंधित किसी प्रकार का छूट विज्ञापन में अंकित नहीं है, तो उसका दावा न तो मान्य होगा और न ही उसका लाभ देय होगा। विज्ञापन में वर्णित सूचनाएँ / शर्त / जानकारी / किसी प्रकार का छूट ही अंतिम रूप से मान्य होगा।

(b) आयोग द्वारा किसी भी समय माँगे जाने पर अभ्यर्थियों को सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत निम्नलिखित प्रमाण–पत्रों की मूल प्रतियाँ सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा–

(i) मैट्रिक का प्रमाण–पत्र (जन्म तिथि के साक्ष्य के लिए)।

(ii) विज्ञापन के अनुरूप शैक्षणिक, प्रशिक्षणिक योग्यता एवं शिक्षक पात्रता/दक्षता परीक्षा उत्तीर्णता संबंधी प्रमाण–पत्र।

(iii) विज्ञापन के अनुरूप शैक्षणिक, प्रशिक्षणिक योग्यता एवं शिक्षक पात्रता/दक्षता परीक्षा उत्तीर्णता संबंधी अंक–पत्र।

(iv) भारतीय पुनर्वास परिषद् द्वारा प्रदत्त मैध सी.आर.पी.ए. नम्बर एवं तत्संबंधी प्रमाण पत्र।

(v) अन्तर दिव्यांगता क्षेत्र में 06 माह का अध्यापन प्रशिक्षण संबंधी प्रमाण पत्र।

(vi) अतिथि शिक्षक के लिए अधिमानता का लाभ लेने हेतु जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा निर्गत अनुभव प्रमाण पत्र एवं नियुक्ति पत्र।

(vii) पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र।

(viii) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत जाति एवं स्थायी निवास प्रमाण पत्र)।

(ix) ट्रांसजेन्डर अभ्यर्थियों के लिए बिहार राज्य का मूल निवासी होने का प्रमाण पत्र तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सक्षम प्राधिकार द्वारा उनके ट्रांसजेन्डर होने के निमित्त निर्गत प्रमाण पत्र।

(x) बिहार राज्य के स्थायी निवासी अनारक्षित वर्ग की महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत स्थायी निवास प्रमाण पत्र।

(xi) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) का दावा करने वाले आवेदक, बिहार सरकार के अधिसूचना संख्या–2622, दिनांक–20.02.2019 के आलोक में निर्धारित प्रपत्र में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत तत्संबंधी प्रमाण–पत्र (उक्त प्रमाण पत्र आवेदन करते समय वैध होना चाहिए)।

(xii) स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/नाती/नतीनी का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के लिए जिला पदाधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी के हस्ताक्षर से निर्गत (भूतपूर्व स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/नाती/नतीनी होने का) प्रमाण–पत्र।

(xiii) दिव्यांगता का दावा करने की स्थिति में निर्धारित प्रपत्र में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत वैध दिव्यांगता प्रमाण पत्र।

(xiv) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक–10666, दिनांक–29.06.2022 एवं पत्रांक–2568, दिनांक- 11.02.2025 के अनुसार दिव्यांगता से ग्रस्त अभ्यर्थियों को श्रुतिलेखक एवं

अन्य सुविधा का दावा करने के स्थिति में उपर्युक्त अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची–I में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र एवं अनुसूची–II में शपथ पत्र।

(xv) पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था अन्तर्गत नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षकों को उम्र सीमा में छूट का दावा करने की स्थिति में तत्संबंधी प्रमाण पत्र।

(xvi) भूतपूर्व सैनिकों को उम्र सीमा में छूट का दावा करने की स्थिति में तत्संबंधी प्रमाण पत्र।

(xvii) बिहार सरकार के सरकारी सेवकों को उम्र सीमा में छूट का दावा करने की स्थिति में तत्संबंधी प्रमाण पत्र।

(xviii) केन्द्र सरकार, बिहार सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार के अधीन किसी भी पद पर नियुक्त हों तो परीक्षा में भाग लेने हेतु सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र (**No Objection Certificate**)।

(xix) पहचान पत्र (फोटोयुक्त), जैसा कि आवेदन में दावा किया हो।

(xx) हाल का खिंचा हुआ 4 (चार) पासपोर्ट आकार का फोटो।

(xxi) प्रारम्भिक एवं मुख्य परीक्षा के लिए भरे एवं डाउनलोड किये गये आवेदन की प्रति।

(xxii) प्रारम्भिक एवं मुख्य परीक्षा के लिए निर्गत **e-Admit card** की प्रति।

7. प्रमाण पत्रों की जाँच:–

(i) नियुक्ति प्राधिकार का यह दायित्व होगा कि वे नियुक्ति पत्र निर्गत करने के पूर्व शैक्षणिक, प्रशिक्षणिक योग्यता एवं शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण एवं अनुभव संबंधी प्रमाण पत्रों सहित अन्य प्रमाण पत्रों की यथावश्यक जाँच करा लेंगे।

(ii) प्रमाण पत्र जाली या गलत पाए जाने की स्थिति में नियुक्ति रद्द करते हुए वेतनादि के मद में दिए गए राशि की वसूली बिहार एजुकेशनल डिमान्ड रिकॉवरी एक्ट, 1914 के प्रावधानों के तहत करते हुए अन्य कानूनी कार्रवाई की जायेगी।

8. शुल्क :–सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के संकल्प ज्ञापांक 15568, दिनांक–21.08.2025 के आलोक में प्रत्येक अभ्यर्थी को 100/– (एक सौ रूपये) परीक्षा शुल्क जमा किया जाना है।

अभ्यर्थी यदि एक से अधिक वर्ग हेतु आवेदन करते हैं, तो प्रत्येक वर्ग यथा– वर्ग 1 से 5, 6 से 8, 9 से 10 एवं 11 से 12 के लिए अलग–अलग परीक्षा शुल्क जमा करना होगा।

अभ्यर्थी को उपर्युक्त परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त विभिन्न बैंको द्वारा निर्धारित चार्ज भी देना होगा, जिसे ऑनलाइन भुगतान के क्रम मे बैंक द्वारा स्वतः बैंक चार्ज के रूप में ले लिया जाएगा।

नोट:– **Biometric fee** 200/–(दो सौ) रूपये।

वैसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन में पहचान पत्र के रूप में आधार संख्या (**Aadhaar No.**) अंकित नहीं किया जाता है, उन्हें **Biometric fee** के रूप में 200/–(दो सौ) रूपये अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करना होगा।

दस्तावेज सत्यापन की सुगमता हेतु पहचान पत्र के रूप में आधार संख्या (**Aadhaar No.**) अंकित किया जाना अपेक्षित है। साथ ही आधार लिंक मोबाईल संख्या का अंकन किया जाना अपेक्षित है। आधार लिंक मोबाईल नम्बर नहीं होने की स्थिति में यथाशीघ्र मोबाईल नम्बर को आधार से लिंक करा ले। परीक्षाफल के प्रकाशन के उपरान्त दस्तावेज सत्यापन के समय अभ्यर्थी के मोबाईल पर यदि **OTP** की समस्या उत्पन्न होती है एवं दस्तावेज सत्यापन मे असफल होने पर उनकी पात्रता प्रभावित होगी।

9 ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से संबंधित तिथि एवं अन्य निर्देश निम्नांकित हैं:– (i)

1.	भुगतान प्रारम्भ करने की तिथि	01.09.2026
2.	भुगतान की अंतिम तिथि	20.09.2026
3.	ऑनलाइन आवेदन प्रारम्भ करने की तिथि	01.09.2026
4.	ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि	30.09.2026

(ii) ऑनलाइन आवेदन पत्र में माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा (STET) के रिजल्ट कार्ड नम्बर के स्थान पर **BSEB Unique ID No.** एवं निर्गत तिथि के स्थान पर परीक्षाफल प्रकाशन की तिथि अंकित करेंगे।

(iii) ऑनलाइन आवेदन पत्र में प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय के लिए **CTET** उत्तीर्ण उम्मीदवार प्रमाण पत्र/अंक पत्र में अंकित **Serial No.** एवं निर्गत तिथि अंकित करेंगे।

(iv) अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन हेतु भुगतान करने से पूर्व उक्त संबंधी शर्तों से आश्वस्त होने के उपरान्त ही भुगतान करें।

(v) अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र एवं संबंधित कागजातों की हार्ड कॉपी आयोग कार्यालय में भेजने की आवश्यकता नहीं है। अभ्यर्थी द्वारा स्वतः हार्ड कॉपी में आवेदन या कोई गूरक कागजात यदि

दिया जाता है तो वह हार्ड कॉपी आवेदन/कागजात और उसके आधार पर किया गया कोई दावा अनुमान्य नहीं होगा।

(vi) अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन में भरे गये शैक्षणिक, प्रशिक्षणिक योग्यता तथा शिक्षक पात्रता/दक्षता परीक्षा, अनुभव एवं आरक्षण संबंधी दावों को सत्य मानते हुए परीक्षा आयोजित करने की कार्रवाई की जायेगी। ऑनलाइन आवेदन में भरे गये प्रमाण पत्रों की जाँच नियुक्ति प्राधिकार (शिक्षा विभाग) द्वारा किया जायेगा।

(vii) ऑनलाइन आवेदन भरने से संबंधित आवश्यक (विस्तृत) निर्देश आयोग के आधिकारिक वेबसाईट **www.bpsc.bihar.gov.in** पर प्रदर्शित है।

अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन भरने के पूर्व उक्त दिशा निर्देशों का भली भाँति अध्ययन कर लेंगे तथा ऑनलाइन आवेदन भरने के क्रम में सभी सूचनाएँ सही–सही एवं सुस्पष्ट अंकित करेंगे।

10. ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया:–

A. <u>One Time Registration (OTR)</u>

(i) BPSC की विभिन्न परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए बिहार लोक सेवा आयोग के वेबसाईट https://bpsconline.bihar.gov.in पर One Time Registration (OTR) करना अनिवार्य है।

(ii) OTR करने के लिए अभ्यर्थी New user Registration Button पर Click करेंगे।

(iii) भविष्य में आयोग द्वारा प्रकाशित होने वाले सभी विज्ञापनों हेतु जारी OTR ही मान्य होगा।

(iv) OTR किसी भी परीक्षा के लिए आवेदन नहीं है। यह केवल आवेदकों से जानकारी एकत्र करना और प्रत्येक आवेदक को अपनी प्रोफाइल बनाए रखने की सुविधा के लिए एक अलग डैशबोर्ड देना है।

(v) OTR करने के लिए वैध सक्रिय ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर अनिवार्य है। अपने ईमेल के Inbox या Spam में अपना ईमेल OTP देखें।

(vi) जो उम्मीदवार BPSC द्वारा विज्ञापित किसी भी परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं, उन्हें OTR में दिए गए पासवर्ड का ही उपयोग होगा।

(vii) एक से अधिक OTR पंजीकरण की अनुमति नहीं है। इससे आपका आवेदन अस्वीकृत/रद्द हो सकता है।

(viii) जिन अभ्यर्थियों ने पूर्व में ऑनलाइन पोर्टल से आवेदन करते समय One Time Registration (OTR) कराया है, वे भी नए पोर्टल पर नये सिरे से OTR प्रक्रिया पूरी करना सुनिश्चित करेंगे।

(ix) ऑनलाइन आवेदन के डैशबोर्ड तक पहुंचने के लिए अभ्यर्थी अपने मोबाईल नं./ईमेल आई.डी. एवं अभ्यर्थी द्वारा बनाये गये पासवर्ड से URL: https://bpsconline.bihar.gov.in/candidate/login पर Login करेंगे।

नोट:–

(i) **OTR** के क्रम में भरे गये अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, लिंग, आधार संख्या व जन्मतिथि में परिवर्तन और सुधार करने का कोई प्रावधान नहीं होगा।

(ii) आवेदक को आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज अनिवार्य रूप से अपलोड करने की आवश्यकता होगी, जिसे **Digilocker Account** के माध्यम से अपलोड किया जा सकता है।

B. <u>INSTRUCTIONS FOR DIGILOCKER ACCOUNT:-</u>

(i) OTR की प्रक्रिया पूर्ण होने के साथ ही Digilocker का Meri Pehchan Portal खुल जायेगा। जिन अभ्यर्थियों के पास Digilocker का Account उपलब्ध है, वो Digilocker Account का Consent OAMS को देते हुए Sign in करना होगा एवं अगर आवेदक के पास Digilocker का Account उपलब्ध नहीं है, तो New Sign up करते हुए Digilocker Account Create कर सकते हैं एवं Digilocker का Consent OAMS को देते हुए आगे की प्रक्रिया पूर्ण करेंगे।

(ii) यदि आवेदक ने पहले ही डिजिलॉकर पर दस्तावेज अपलोड कर दिए है और OAMS को access दी है, तो वे सीधे यहां से उन दस्तावेजों को OAMS से Link कर सकते हैं।

(iii) यदि आवेदक Digilocker के Portal के माध्यम से Proceed नहीं करना चाहते हो तो Browser के Back (←) Button पर Click करने के उपरान्त Online Application का Portal खुल जायेगा, Online Application Portal पर Login Credentials Enter करते हुए आगे की प्रक्रिया पूर्ण करेंगे।

C. <u>INSTRUCTIONS FOR PROFILE CREATION:-</u>

प्रोफाइल निर्माण के लिए छह चरण है। वे इस प्रकार हैं: -

Step 1: Personal Information (व्यक्तिगत जानकारी)

Step 2: Address Information (पता संबंधी जानकारी)

Step 3: Other Information (अन्य जानकारी)

Step 4: Qualification Information (योग्यता संबंधी जानकारी)

Step 5: Experience Information (अनुभव संबंधी जानकारी)

Step 6: Upload Photo / Signature and Profile Lock (अपलोड फोटो / हस्ताक्षर प्रोफाइल लॉक)

Step 1: व्यक्तिगत जानकारी : इस चरण में आवेदक को कुछ अनिवार्य जानकारी भरना होगा, जैसे स्नाग की जाति और श्रेणी विवरण (UR, EWS, BC, EBC, SC एवं ST)। आवेदक को अपनी किसी भी प्रकार की दिव्यांगता, खेलों का विवरण, भूतपूर्व सैनिक, NCC कैडेट, सरकारी कर्मचारी से संबंधित जानकारी देनी होगी। अंत में आवेदक को save बटन पर Click करना होगा।

Step 2: पता संबंधी जानकारी : इस चरण में आवेदक को अपना स्थायी पता भरना होगा, जैसे सराफत पता, राज्य, जिला और पिन कोड। फिर आवेदक को पत्राचार का पता देना होगा। यदि स्थायी पता पत्राचार के पते के समान है, तो आवेदक Same as Above पर Click कर सकता है। अंत में, अभ्यर्थी को save बटन पर Click करना होगा।

Step 3: अन्य जानकारी : इस चरण में यदि आवेदक के खिलाफ चल रही कोई भी अनुशासनिक कार्यवाही या सजा का विवरण है तो उसे भरना होगा। अंत में, आवेदक को save बटन पर Click करना होगा।

Step 4: योग्यता संबंधी जानकारी : इस चरण में आवेदक को अपनी शैक्षणिक योग्यता का विवरण दर्ज करना होगा। आवेदक कम से कम 10वीं एवं बारहवीं से आगे तक जानकारी प्रदान कर सकता है। इस चरण में शैक्षणिक योग्यता (ड्रॉप–डाउन में उपलब्ध विकल्प में से चुनना होगा), शैक्षणिक योग्यता का नाम, विषय, राज्य, बोर्ड/विश्वविद्यालय, शैक्षणिक योग्यता की स्थिति (Completed or Appearing), शैक्षणिक योग्यता की उत्तीर्णता की तिथि, प्रयास (Attempt), प्राप्त अंक, कुल अंक, प्रतिशत (जिस विश्वविद्यालय के अनुसार जहाँ आवेदक ने अध्ययन किया है), शैक्षिक महीनों की संख्या, वर्ष या श्रेणी, मोड (Distance or Regular), अनिवार्य विषय, वैकल्पिक विषय, सीट या रोल संख्या और उत्तीर्णता का वर्ष अंकित करना होगा। एक योग्यता का विवरण पूरा भर लेने के पश्चात् Add बटन पर Click करके Save करना सुनिश्चित करे। अंत में आवेदक को save बटन पर Click करना होगा।

Step 5: अनुभव संबंधी जानकारी : इस चरण में यदि आवेदक के पास कोई प्रासंगिक कार्य अनुभव है, तो उसे हाँ पर क्लिक करना होगा अन्यथा नहीं पर Click करें। यदि आवेदक हाँ का चुनाव करते हैं, तो आवेदक को अपने कार्यानुभव का विवरण (वर्तमान/पूर्व), नियोजन का प्रकार, विभाग जहां वे कार्यरत हैं/थे, बिहार सरकार के अन्तर्गत संस्थान का नाम, पदनाम, ग्रेड पे, मूल वेतन एवं किस तिथि से कार्यरत हैं, का विवरण अंकित करना होगा एक कार्य अनुभव का विवरण पूरा भर लेने के पश्चात् Add बटन पर Click करके Save करना सुनिश्चित करे। अंत में आवेदक को save बटन पर Click करना होगा।

Step 6: फोटो एवं हस्ताक्षर एवं प्रोफाइल लॉकः इस चरण में आवेदक को एक वेब कैमरा की आवश्यकता होगी, जिससे वे अपना लाइव फोटो कैप्चर करेंगे उसके बाद आवेदक को एक अंग्रेजी और एक हिंदी हस्ताक्षर अपलोड करना होगा। हस्ताक्षर फोटो का आकार 20kb से अधिक नहीं होना चाहिए एवं Width 150–220 Pixel के बीच और Height 250–320 Pixel के बीच होनी चाहिए एवं उसके बाद Save बटन पर Click करना होगा। अंत में आवेदक को check-box पर Click करके इस बात की पुष्टि करनी होगी कि प्रदान की गई सारी जानकारी सही है एवं उसके बाद आवेदक को Submit और Lock Profile पर Click करना होगा।

नोटः–

(i) One Time Registration (OTR) के उपरान्त Profile Tab के अन्तर्गत भरी गयी प्रविष्टियों में यदि कोई त्रुटि हो तो अभ्यर्थी अपने Profile को Unlock करते हुए त्रुटिपूर्ण सूचनाओं को सही करते हुए Update कर सकते हैं।

(ii) Profile Creation के बाद अधिसूचित विज्ञापन के अन्तर्गत आवेदन Submit कर देने के उपरान्त आवेदन में अंकित किसी भूचना मे संशोधन का प्रावधान नहीं है। Lock Profile पर Click करने के बाद Profile Lock होने के बाद ही आवेदक को Active Advertisements की लिस्ट New Advertisement Tab के अन्दर दिखेंगे।

(iii) Profile Lock होने के बाद अगर किसी विज्ञापन के लिए Apply कर देते हैं तो उस विज्ञापन में दिये गये किसी भी प्रविष्टि (Details) में कोई भी सुधार/परिवर्तन नहीं होगा।

D. <u>INSTRUCTIONS FOR NEW APPLICATION</u>

(i) आवेदक का Profile Create होने के बाद New Application Tab में सारी On going/Active Advertisements दिखेगा, जिसमें Pay Fees Button Click करने पर एक Confirmation Pop-up आयेगा, जिसमें Terms & Conditions Accept करने के बाद पद चयन का विकल्प आयेगा, जिसमे

अभ्यर्थी को पद का चयन करना होगा एवं उसके उपरान्त चयनित पद का Payment Calculate होकर Payable Amount में दिखेगा एवं उसके नीचे Online Payment और SBI Payment Gateway का चयन कर Preview करने के पश्चात् Confirm & Pay Option पर Click कर भुगतान की प्रक्रिया पूर्ण करेंगे। Successful Payment होने के बाद New Application Tab में उक्त विज्ञापन के Apply Button पर click करने पर Application Form खुलेगा। जिसमें Proceed to Application Button पर click करके आगे की प्रक्रिया पूर्ण करेंगे एवं Submit Application Button पर click करके Application Form Submit करेंगे।

(ii) अभ्यर्थी अपने कोटि, आवेदित पद ,विषय, परीक्षा शुल्क इत्यादि से सन्तुष्ट होने के उपरान्त ही ऑनलाइन परीक्षा शुल्क जमा करेंगे। यदि आपने पद एवं विषय का चयन करने के पश्चात भुगतान (Payment) कर दिया है, तो इसके बाद आप किसी भी चयनित पद/विषय को हटाने अथवा किसी नए पद/विषय का चयन करने में सक्षम नहीं होंगे। यदि आप अपने चयनित पद/विषय में परिवर्तन या कोई नया पद/विषय जोड़ना चाहते हैं, तो आपको अपना भुगतान Cancel कर पुनः संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण करनी होगी।

(iii) Application Form एवं Payment की प्रक्रिया पूर्ण होने पर My Account Tab पर Click करने के बाद आवेदक द्वारा Apply किये गये Advertisements दिखेंगे, जिसके Actinn Column में Application Form Print, Cancel Application, Payment History का विकल्प उपलब्ध होगा।

(iv) यदि किसी आवेदक के Application Form में किसी भी प्रकार की त्रुटि होती है, तो वे अपना आवेदन Cancel करके नए सिरे से Application Form भरना सुनिश्चित करेंगे.

नोट:–

- अगर अभ्यर्थी ने किसी भी विज्ञापन के लिए भुगतान किया हुआ है तो उनका **Profile Lock** रहेगा एवं उस विज्ञापन के **Final Application Submit** होने के बाद ही **Profile** किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने के लिए **Unlock** होगा। अगर अभ्यर्थी **Profile** में किसी **Details** को **Change/Update** करने के बाद ही **Application Submit** करना चाहते है तो अभ्यर्थी को पहले अपना **Payment Cancel** करना होगा। **Application Form** में **Proceed to Application Button Click** करने के बाद **Form** में सबसे नीचे **Cancel Payment Button** का **Option** उपलब्ध होगा।
- **Cancel Payment** या **Application Form Cancel** करने के बाद कोई भी भुगतान वापस नहीं किया जायेगा।
- ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु आवश्यक (विस्तृत) निर्देश का अक्षरशः अनुपालन नही करने पर एवं ऑनलाइन आवेदन भरने के क्रम में अभ्यर्थी द्वारा की गयी प्रविष्टि में किसी प्रकार की त्रुटि के लिए आयोग जिम्मेदार नहीं होगा।

ऑनलाइन आवेदन में भरे गये सूचनाओं का मूल प्रमाण–पत्र/अंक पत्र से मिलान करने के क्रम में किसी भी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर उम्मीदवारी रद्द कर दी जायेगी।

(v) यदि आपने भुगतान (Payment) करने के पश्चात Final Application Form Submit नहीं किया है, तो आपका आवेदन पूर्ण नहीं माना जाएगा। ऐसी स्थिति में विज्ञापन के अंतर्गत आपकी अभ्यर्थिता (Candidature) मान्य नहीं होगी तथा आपको इस विज्ञापन के लिए पात्र नहीं माना जाएगा।

(vi) यदि आपने Payment किया है और बैंक द्वारा आपके खाते से राशि कट गई है परंतु Apply बटन के स्थान पर Check Payment Status बटन प्रदर्शित हो रहा है, तो Check Payment Status बटन पर क्लिक करें। यह आपके भुगतान की बैंक से पुष्टि (Verification) करेगा। यदि Payment सफल पाया जाता है, तो Apply बटन प्रदर्शित होगा और आगे आने की प्रक्रिया पूर्ण कर सकेंगे। यदि भुगतान सफल नहीं पाया जाता है, तो Pay Fee बटन प्रदर्शित होगा, जिसके माध्यम से आप पुनः भुगतान कर आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं।

(vii) यदि आपने आवेदन पत्र के लिए एक से अधिक बार भुगतान किया है, तो आप अपने बैंक के माध्यम से Chargeback Claim कर अतिरिक्त भुगतान की राशि वापस प्राप्त करने हेतु अनुरोध कर सकते हैं। Cancelled Payment अथवा Cancelled Application से संबंधित कोई भी भुगतान Chargeback Claim के लिए मान्य नहीं होगा।

E. **INSTRUCTIONS**

(i) ऑनलाइन आवेदन में अंकित E-mail Id एवं Mobile Number को सुरक्षित रखना आवेदक की जिम्मेवारी होगी। इसे वे अंतिम परीक्षाफल प्रकाशन तक सुरक्षित रखेंगे। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन भरने के क्रम में अपने ही कार्यरत मोबाईल नम्बर एवं ई–मेल आईडी अंकित करेंगे, किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य व्यक्ति का मोबाईल नम्बर एवं ई–मेल आईडी अंकित नहीं करेंगे।

(ii) इन्टरनेट या बैंकिंग व्यवधान के लिए आयोग उत्तरदायी नहीं होगा। अतः अभ्यर्थी अंतिम तिथियों का इंतजार नहीं करेंगे एवं उसके पूर्व ही सभी प्रक्रिया पूरी कर लेंगे।

(iii) अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन करते समय अपनी स्पष्ट (अच्छी) तस्वीर Webcam के माध्यम से खींच कर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे।

(iv) अभ्यर्थी हिन्दी एवं अंग्रेजी में हस्ताक्षर स्कैन कर ऑनलाइन आवेदन में निर्धारित स्थान में अपलोड करेंगे। सम्भीदवार संतुष्ट हो लेंगे कि अपलोड किया गया हिन्दी एवं अंग्रेजी हस्ताक्षर का इमेज सुस्पष्ट है।

(v) इस विज्ञापन के अन्तर्गत सम्मिलित होने वाले इच्छुक अभ्यर्थियों को यह भी निर्देश दिया जाता है कि आवेदन फोटोग्राफ की चार प्रतियाँ वे अपने पास सुरक्षित रखेंगे, ताकि आवश्यकता पड़ने पर या आयोग द्वारा मांगे जाने पर उसे उनके द्वारा जमा किया जा सके।

F. MY ACCOUNT TAB

(i) यदि किसी आवेदक को अपना पासवर्ड Change करना है, तो आवेदक My Account Tab में उपलब्ध विकल्प से कर सकता है।

(ii) ऑनलाइन भुगतान करने, ऑनलाइन आवेदन भरने एवं हार्ड कॉपी डाउनलोड करने के बाद Profile में किया गया कोई भी परिवर्तन मान्य नहीं होगा।

(iii) ऑनलाइन भुगतान में किसी प्रकार का इन्टरनेट व्यवधान/गलत भुगतान/अपूर्ण भुगतान (Unsuccessful Payment/Transaction Status Failure/Transaction Status Pending) के लिए आयोग उत्तरदायी नहीं होगा तथा अभ्यर्थी को सुधार हेतु अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा।

(iv) आवेदक यह भी सुनिश्चित कर लें कि डाउनलोड किये गये आवेदन की हार्ड कॉपी के प्रत्येक पृष्ठ पर Application Number, Application ID एवं Bar Code अंकित है हार्ड कॉपी पर Application Number, Application ID एवं Bar Code में से किसी एक के अंकित नहीं होने पर भी आवेदन पूर्ण रूप से भरा नहीं माना जाएगा एवं आवेदन स्वीकार्य नहीं होगा।

(v) इसके अतिरिक्त विज्ञापन से संबंधित वांछित सभी प्रमाण पत्र अंतिम रूप से भरे गये ऑनलाइन आवेदन को My Account Tab से डाउनलोड कर हार्ड कॉपी अवश्य सुरक्षित रखेंगे। उक्त निर्देश का अनुपालन नहीं करने वाले अभ्यर्थियों की अर्हता के संबंध में निर्णय लेने हेतु आयोग स्वतंत्र रहेगा।

Note:- यदि आवेदक को OTR एवं Application Form भरने मे कोई शिकायत है, तो Grievance Tab में उसका विवरण दे सकते हैं।

11. महत्वपूर्ण निर्देश :–

(i) अंतिम रूप से भरे गये ऑनलाइन आवेदन को सबमिट करने के बाद अभ्यर्थी उसी समय पुनः My Account Tab पर Click करेंगे, तत्पश्चात् Action के अन्दर View Option पर Click करने पर Application Print का Option दिखेगा जहाँ से भरे हुए आवेदन की दो प्रति निश्चित रूप से डाउनलोड कर प्रिंट करेंगे। विज्ञापन से संबंधित सभी प्रमाण पत्र/कागजात की प्रति अवश्य सुरक्षित रखेंगे। आयोग द्वारा किसी भी समय या आवश्यकता अनुसार मांगे जाने पर सम्भीदवार को उक्त हार्ड कॉपी एवं सभी संबंधित मूल प्रमाण–पत्र निश्चित रूप से प्रस्तुत करना होगा।

(ii) ऑनलाइन आवेदन भरने के क्रम में संलग्न प्रमाण–पत्रों की सूची में अंकित प्रत्येक प्रमाण–पत्रों के सामने अभ्यर्थी प्रमाण–पत्र निर्गत की तिथि एवं संख्या अंकित करेंगे।

12. आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन भरने मात्र से ही उनकी अभ्यर्थिता सुनिश्चित नहीं मानी जायेगी। अभ्यर्थियों की अर्हता के संबंध में अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत कागजातों के आधार पर अंतिम निर्णय लिया जायेगा।

13. शैक्षणिक, प्रशैक्षणिक योग्यता, अनुभव तथा शिक्षक पात्रता/दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण होने संबंधी प्रमाण–पत्र वही मान्य होंगे, जिनका उल्लेख सम्भीदवार ने अपने मूल आवेदन–पत्र में किया है।

14. इस विज्ञापन से संबंधित सभी सूचनाएँ आयोग के वेबसाईट www.bpsc.bihar.gov.in पर प्रकाशित की जाएगी, समाचार पत्रों में अलग से प्रकाशन अपेक्षित नहीं होगा।

15. उपर्युक्त विज्ञापन से संबंधित ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु विस्तृत निर्देश आयोग के वेबसाईट www.bpsc.bihar.gov.in पर प्रदर्शित है। इस विज्ञापन के लिए निर्धारित ऑनलाइन आवेदन से अलग, मुद्रित, टंकित, हस्तलिखित आवेदन स्वीकार्य नहीं किये जायेंगे, साथ ही अपूर्ण, अस्पष्ट, अहस्ताक्षरित तथा विलम्ब से प्राप्त आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिये जायेंगे तथा परीक्षा शुल्क भुगतान किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जायेगा।

16. आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन में सभी प्रविष्टियाँ सावधानी से भरी जाए। भविष्य में किसी प्रकार का परिवर्तन/सुधार मान्य नहीं होगा। किसी भी प्रकार की त्रुटि हेतु आयोग उत्तरदायी नहीं होगा एवं कोई भी प्रतिकूल परिणाम हेतु आवेदक स्वयं जिम्मेवार होंगे।

परीक्षा नियंत्रक,
बिहार लोक सेवा आयोग, पटना।